# चतुर्थ अध्याय

## ग्रंथालय,सांगीतिक ग्रंथालय, अभिलेखाधार, ध्वनिलेखागार और ध्वनिलेखपाल

# चतुर्थ अध्याय

## 4. ग्रंथालय, सांगीतिक ग्रंथालय, अभिलेखागार, ध्वनिलेखागार और ध्वनिलेखपाल

ध्वनिलेखागार मुख्यतः दो शब्दो का संयोजन है, ध्वनि और लेखागार। प्रथम शब्द 'ध्वनि' - सामान्यतः ध्वनि विश्व की उत्पत्ति से ही अपना अस्तित्व रखती है। ध्वनि वह ऊर्जा है, जो न उत्पन्न होती है, न नाश होती है। जो तरंग के रूप में समग्र विश्व में व्याप्त है। वह तरंगे नाद, आवाज़, ध्वनि के नाम से जानी जाती है। द्वितीय शब्द 'लेखागार'– सामान्यतः "अभिलेखागार" शब्द अति प्रचलित है। अंग्रेजी में जिसे Archives भी कहते है। विशिष्ट रूप से निर्मित ध्वनि संबधित अभिलेखागार यानि कि ध्वनिलेखागार। संगीत के ध्वनिमुद्रणों का अभिलेखागार यानि कि 'ध्वनिलेखागार' अभिलेखागार (Archives) और ध्वनिलेखागार (Music Archives) के संबंध में यह शोधकार्य में उनके समानार्थी किन्तु भिन्न 'ग्रंथालय' (Library) के विषय में जानना अति आवश्यक है।

### 4:1 ग्रंथालय (Library)

ग्रंथालय मूलतः एसे स्थान को कहा जाता है, जहा वाचक इच्छा या रूचि के अनुरूप विषय की पुस्तके पढ़ सके और विषय के संबंध में ज्ञान प्राप्त कर सके। समय परिवर्तन के साथ मानवीय जरूरतों को ध्यान में रखकर ग्रंथालय ने अनेक नूतन आयाम विकसीत किए है।

डॉ.एस.आर.रंगनाथन के शब्दो में, "Library is a trinity of books, readers and library staff" [1] यह तीन आधारभूत घटक पुस्तक, वाचक और ग्रंथालय कर्मचारी सामाजिक व्यवस्थाओ के बदलाव के साथ परिवर्तित और आधुनिक होते गए। पुस्तक से e-book का और library से digital library तक का सफर विज्ञान और आधुनिक समाज व्यवस्था की देन है। ग्रंथालय समाज का आईना है। जिसमे मानव समाज के सभी आयामों जैसे कि सामाजिक व्यवस्था, भौगोलिकता, संस्कृति, आध्यात्मिकता इत्यादि सभी की छबि दिखाई देती है। ग्रंथालय और अभिलेखागार समाज के सभी आयामो की माहिती एकत्रित, वर्गीकृत, प्रचार-प्रसारित एवं संरक्षित करती है। ग्रंथालय मानवो के भावनात्मक अभिव्यक्ति के परिणामो, मानवीय सभ्यता और संस्कृति की विरासत को संरक्षित करती है। जिसमे शिक्षण, पुनःरचना, शोध, व्यापार, सरकार इत्यादि का प्रभाव दिखाई देता है। इतिहास और प्रवर्तमान परिस्थिति के बीच का सेतु ग्रंथालय में मिलता है, इसलिए ग्रंथालय अत्यंत आवश्यक है, अनिवार्य है। यह रक्षित अमूल्य चीजे ही समाज की समृद्धि दर्शाती है।

---

**1.** राजेंद्र, अपर्णा/म्यूजिक लाइब्रेरी इन इंडिया/थीसीस/यूनिवर्सिटी ऑफ पूणे /2007/पृष्ठ-39

## 4:1:1 ग्रंथालय के प्रकार

ग्रंथालय जिस प्रकार की कार्यप्रणाली से कार्यान्वित है अथवा जिस तरह के लोग उपयोग करते हो अथवा जिस प्रकार का डेटा / सामग्री / संगृह एकत्रीत और संरक्षित करता हो अथवा उपर्युक्त तमाम घटको का मिश्रण हो सकता हैं उस तरीकेसे वर्गीकृत किया जाता हैं।

ग्रंथालय को निम्न दर्शित प्रकारो से वर्गीकृत किया जा सकता हैं।

क. राष्ट्रीय

ख. शैक्षणिक शाला, कोलेज या महाविश्वविद्यालय

ग. सार्वजनिक

घ. विशिष्ट

### 4:1:1:1 राष्ट्रीय ग्रंथालय

राष्ट्रीय ग्रंथालय की संकल्पना 14वीं और 15वीं शताब्दी की है। यह राष्ट्र की सर्वोच्च ग्रंथालय व्यवस्था हैं। राष्ट्रीय ग्रंथालय एसा ग्रंथालय है, जिसमें देश की छपी हुई प्रत या न छपा हुआ इलेक्ट्रोनिक माध्यम में राष्ट्रीय विरासत का एकत्रीकरण, निभाव और संरक्षण किया जाता है।

पुस्तकालय संगठन और संस्थाओ का आंतरराष्ट्रीय संघ (IFLA,1997) की राष्ट्रीय ग्रंथालय सेवाओ के लिए जारी की गई वैधानिक मार्गदर्शिका के अनुसार, राष्ट्रीय ग्रंथालय इस तरह निरूपित की गई है।

“an institution, primarily funded (directly or indirectly) by the state, which is responsible for comprehensively collecting, bibliographically recoding, preserving and making available the documentary heritage (primarily published materials of all types) emanating from of relating to its country; and which furthers the effective and efficient functioning of the country’s libraries through the management of nationally significant collections, the provision of an infrastructure, the coordination of activities in the country’s library and information system, international liaison and the exercise of leadership. These responsibilities are formally recognised usually in law.”

| Dimensions of the "National Library" Concept | Developmental Stage or Context | Primary Clients | Strategic Emphasis | Type of National Library |
|---|---|---|---|---|
| Heritage | Classic (developed countries) | Learned scholars, researchers | Collections | Conventional or traditional national library |
| Infrastructure | Modern (developed countries) | Libraries | National Leadership | Modern national library |
| Comprehensive national service | Developing Countries | The people | Service delivery to end-users | National library service |

### 4:1:1:2 शैक्षणिक ग्रंथालय-

शैक्षणिक ग्रंथालय प्रवर्तमान शैक्षणिक व्यवस्था का एक भाग है, जो संस्था, पाठशाला, कॉलेज और विश्वविद्यालय में अध्ययन-अध्यापन और शोध प्रक्रिया में सहायक होता हैं। जो शक्षणिक पद्धति को गठित करता हैं।

### 4:1:1:3 सार्वजनिक ग्रंथालय-

सर्व सामान्य जनता द्वारा, सामान्य जनता के लिए, सामान्य जनता का ग्रंथालय। यह ग्रंथालय का संचालन सरकार द्वारा अथवा सरकार द्वारा गठित व्यवस्था तंत्र द्वारा होता हैं। जो सर्व सामान्य जनता के लिए निःशूल्क उपलब्ध होता है।

### 4:1:1:4 विशिष्ट ग्रंथालय-

विशिष्ट रूप से किसी क्षेत्र या विचारधारा से निर्मित ग्रंथालय विशिष्ट ग्रंथालय की श्रेणी मे आता है। जो कुछ खास प्रकार के उपभोक्ता की रुचि, जरूरते और कार्यक्षेत्र को ध्यान में रखकर संबन्धित सामग्री, माहिती और सेवा प्रदान करने हेतु निर्मित किया गया है।

## 4:1:2 सांगीतिक ग्रंथालय (Music Library) एक विशिष्ट ग्रंथालय-

उपर्युक्त ग्रंथालय के प्रकारो का विहंगावलोकन करते हुए यह सांगीतिक ग्रंथालय विशिष्ट प्रकार के ग्रंथालय की श्रेणी में आता हैं। संगीत ने मानव संस्कृति का विकास करने में महत्तम योगदान हैं। अमूल्य गुणसंपन्न चीजों का संगृह और संरक्षण करना मानवीय अभिगम रहा हैं। स्थापत्य और अन्य विविध कला के प्रकारो का पत्थर, लकड़ी, पत्ते, कपड़ा, कागज़ पर स्थायी या टिकाऊ रूप से संगृह यह बात की गवाही देता हैं।

ग्रंथालय या अभिलेखागार का निर्माण यही विचारधारा का परिणाम स्वरूप हैं। इसे संबंध में संगीत का संगृह और संरक्षण करने हेतु सांगीतिक ग्रंथालय अस्तित्व में आया हैं। संगीत की विरासत का संगृह, संरक्षण और जतन करना वास्तव में एक चुनौती जैसा हैं। सांगीतिक विरासत लिखित माध्यम से या ध्वनि के माध्यम से संगृहीत की जाती है। पाश्चात्य संगीत का लिखित माध्यम ज्यादा प्रचलन में है। सांगीतिक ग्रंथालय और ध्वनिलेखागार संगीत की विरासत को संझोए हुए है। जॉन एम. रेट्ज़ के शब्दो में सांगीतिक ग्रंथालय (Music Library) की व्याख्या

"A library containing a collection of materials on music and musicians, including printed and manuscript music scores, music periodicals, recorded music (CDs, audiocassettes, phonograph records, etc.), books about music and musicians, program notes, discographs, and music reference materials."[1]

## 4:2 अभिलेखागार-

अभिलेखागार मानवीय मूल्यो को दीर्घकाल तक बरकरार रखने के लिए किए जानेवाले दस्तावेजीकरण का स्वरूप हैं। वे व्यक्तियों और संगठनो द्वारा बनाए गए समकालीन रेकॉर्ड हैं क्योंकि वे जब अपने विषय में जाते हैं तो उनको पिछली घटनाओं पर एक सीधी खिड़की प्रदान करती हैं। वे लिखीत, फोटोग्राफिक, मूविंग इमेज, साउंड, डिजिटल और एनालॉग सहित कई प्रकार के स्वरूपों में आ सकते हैं।अभिलेखागार सार्वजनिक, निजी संस्थानो और व्यक्तियों द्वारा आयोजित किए जाते हैं।

## 4:2:1 अभिलेखागार की लाक्षणिकता -

- रेकॉर्ड वह हैं जिनके अस्तित्व, दस्तावेजीकरण के समय और जिस व्यक्ति द्वारा निर्मित / रचना हुई है उस पर दावा किया जा सके।

**1.** राजेंद्र, अपर्णा/म्यूजिक लाइब्रेरी इन इंडिया/थीसीस/यूनिवर्सिटी ऑफ पूणे /2007/पृष्ठ-42

- वह सटीक रूप से घटना को निरूपित करता हैं, हालाँकि दस्तावेजीकरण में व्यक्ति या संगठन का द्रष्टिकोण हो सकता हैं।
- वह सातत्यपूर्ण होना चाहिए।
- संग्रह एक सुलभ स्थान और प्रयोग करने योग्य स्थिती में होना चाहिए। भूकंप, तूफान, युद्ध जैसे प्राकृतिक या मानवसर्जित आपत्तियाँ उन्हे बेकार कर सकती हैं।
- वे सचेत रूप से एक ऐतिहासिक रेकॉर्ड के रूप में नहीं बनाए गए है, उनकी ताकत यह है कि वे एक समकालीन रेकॉर्ड है और उन्हे इस बात के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि उस दस्तावेज़ जो किसने और क्यों तैयार किया।
- अभिलेखागार में होने के लिए दस्तावेजो का पुराना होना ही आवश्यक नहीं हैं।
- वे मात्र कागज़ी दस्तावेज़ के रूप में न होकर एनालॉग और डिजिटल माध्यम में भी होते है। अभिलेखागार मे हस्तप्रत, इलेक्ट्रोनिक संसाधन (वेबसाइट और ईमेइल सहित), फोटोग्राफ और फिल्म और ध्वनिमुद्रण शामिल हैं।

### 4:2:2 अभिलेखागार का महत्व-

अभिलेखागार अतीत के गवाह हैं। वे पिछले कार्यो और प्रवर्तमान निर्णयों या कार्यो को साक्ष्य, स्पष्टीकरण और औचित्य प्रदान करता हैं।

अभिलेखागार समाज को कई प्रकार की भूमिकाए निभाने में सक्षम बनाता हैं। जो सभ्य समुदायों को शिक्षा और अनुसाधान को सक्षम करने, मनोरंजन और अवकाश प्रदान करने, मानवाधिकारों की रक्षा करने और पहचान की पुष्टि करने के लिए, जड़ से फूलने-फूलने में सक्षम बनाता हैं। अभिलेखागार अद्वितीय, समकालीन रेकॉर्ड हैं और इसलिए एकबार खो जाने के बाद उन्हें बदला नहीं जा सकता हैं। उचित पहचान, देखभाल और व्यापक पहुँच के माध्यम से ही मानवता के लाभ के लिए अभिलेखागार की महत्वपूर्ण भूमिका को महसूस किया जाता हैं।

### 4:2:3 अभिलेखागार और सुशासन :

अच्छे अभिलेखागार प्रबंधन का मतलब सिर्फ इतिहास और अनुसंधान/ शोध के लिए रेकॉर्ड जमा करना नहीं हैं। अभिलेखागार सुशासन के केंद्र में हैं। अभिलेखागार और रेकॉर्ड एसे उपकरण है जिसके द्वारा सरकारे खुद को जवाबदेह बना सकती है और अपनी लोकतांत्रिक साख का प्रदर्शन कर सकती हैं। अच्छी तरह से प्रबंधित अभिलेखागार और रेकॉर्ड एसे साधन है जिनके द्वारा कोई देश सरकार के कार्यो को कौन, कब,

कहाँ, कैसे और क्यों में समझ सकता है। वे मानवाधिकारों, सरकार को अपने कार्यो की व्याख्या और बचाव करने की क्षमता प्रदान करते हैं। अच्छा प्रबंधन भी समय पर सरकार की कौशल्यता सुनिश्चित करती हैं।

## 4:3 अभिलेखागार और ग्रंथालय का भेद:

प्रस्तुत शोध का मुख्य विषय ध्वनिलेखागार उनके ही समान कार्यप्रणाली से संलग्न सांगीतिक ग्रंथालय के समकक्ष हैं। किन्तु, ग्रंथालय एवं अभिलेखागार के विषय में उनके बीच के सैद्धांतिक भेद से अवगत होना अति आवश्यक हैं।[1]

### 1. संग्रह प्राप्ति

| अभिलेखागार | ग्रंथालय |
|---|---|
| ➢ अभिलेखागार सामान्यतः प्राथमिक स्रोत है। यह सामग्री लेखक, कलाकार या निर्माता से प्राप्त करता हैं। | ➢ ग्रंथालय / पुस्तकालय आमतौर पर प्रकाशक या विक्रेताओ से प्रकाशित सामग्री द्वितीयक स्रोत के रूप में प्राप्त करता हैं। |
| ➢ अभिलेखागार सामान्यतः सामग्री दान के रूप में प्राप्त करता हैं। | ➢ ग्रंथालय/पुस्तकालय वस्तुए खरीद करते हैं लेकिन कुछ नीजी व्यक्तियों से दान के रूप में भी प्राप्त करते हैं। |
| ➢ पुरालेखविद अभिलेखिय सामग्री का चयन अपने ज्ञान से अपनी विरासत और उनके संगठन की नीतियों के अनुसार करते हैं। | ➢ ग्रंथपाल अपने विषय क्षेत्रो के विशेष ज्ञान, संगठन और सामग्री एकत्रीकरण की नीतियों को ध्यान में रखकर करता हैं। |
| ➢ सामग्री आमतौर पर अभिलेखागार अधिग्रहण नीतियों और संस्थागत नीतियों के अनुसार चुनी जाती हैं। | ➢ सामग्री का चयन आमतौर पर ग्रंथालय/ पुस्तकालय संग्रह नीतियों और संस्थागात नीतियों के अनुसार किया जाता हैं। |

**1.** https://dal.ca.libguides.com/c.php?g=257178&p=1718238

## 2. संग्रह के प्रकार

| अभिलेखागार | ग्रंथालय |
|---|---|
| अधिकतर अप्रकाशित सामग्री (उदाहरण के लिए, पत्र, पांडुलिपिया, इत्यादि) | अधिकतर प्रकाशित सामग्री (उदाहरण के लिए – किताबें, पत्रिकाए, इत्यादि) |
| सामग्री अद्भूत और अद्वितीय होती हैं, कहीं ओर उपलब्ध नहीं होती। | सामग्री अक्सर एक से ज्यादा जगहों पर उपलब्ध हो जाती हैं। |

## 3. संग्रह का व्यवस्थापन

| अभिलेखागार | ग्रंथालय |
|---|---|
| सामग्री उत्पत्ति यानि कि निर्माण और मूल क्रम के सिद्धांतों के अनुसार व्यवस्थित की जाती हैं। | सामग्री को विषय वर्गीकरण के अनुसार व्यवस्थित की जाती हैं। |
| पुरालेखपाल संग्रह के निर्माता(ओं) द्वारा बनाए गए व्यवस्थापन को एसे ही बनाए रखने का प्रयास करते हैं। | ग्रंथपाल संग्रह को इस बात कि परवाह किए बिना सुव्यवस्थित करते है कि सामग्री के निर्माता(ओं) ने रेकॉर्ड कैसे व्यवस्थित किए हैं। |

## 4. सामग्री का विवरण

| अभिलेखागार | ग्रंथालय |
|---|---|
| सामग्री के एक समूह को संग्रह जैसे श्रृंखला, उप-श्रृंखला, फाइल, आइटम आदि के भीतर कई अलग-अलग स्तरो पर वर्णित किया जाता हैं। | सामग्री को एक व्यक्तिगत स्तर पर वर्णित किया गया हैं। उदाहरण के लिए, एकल पुस्तक के लिए सूची |
| एक संग्रह के प्रत्येक भाग का विवरण एक “बहुस्तरीय” अभिलेखीय विवरण या खोज सहायता में एकसाथ जुड़े हुए हैं। | व्यक्तिगत वस्तुओं के विवरण तब तक एक साथ नहीं जुड़े होते जब तक कि वे वस्तुओं की एक श्रृंखला नहीं बनाते। |
| खोज साधन में अक्सर विषय शीर्षक, भौगोलिक शीर्षक और प्राधिकरण रेकॉर्ड अभिलेखीय सामग्री के निर्माता(ओं) के नाम) जैसे पहुँच बिन्दु होते हैं। | ग्रंथालय सूची में विषय शीर्षक होते हैं। |

**5. संग्रह तक पहुँच**

| अभिलेखागार | ग्रंथालय |
|---|---|
| सभी सामग्री प्रसारित नहीं होती हैं और इसे साइट पर से ही एक्सेस किया जा सकता हैं, केवल चुनिंदा सामग्री ही ऑनलाइन उपलब्ध हैं। | अधिकांश पुस्तकालय / ग्रंथालय सामग्री प्रसारित होती हैं या ऑनलाइन एक्सेस की जा सकती है, कुछ आइटम (उदाहरण के लिए, विशेष संग्रह, आरक्षित पाठ्यक्रम) प्रसारित नहीं होते हैं। |
| कुछ सूचनाओ तक पहुँच प्रतिबंधित हो सकती हैं।(जैसे, विश्वविद्यालय के रेकॉर्ड, व्यक्तिगत फाइल, अनुसंधान डेटा इत्यादि) | अधिकांश पुस्तकालय / ग्रंथालय सामग्री प्रकाशित होती हैं और इसमे प्रतिबंधित जानकारी नहीं होती हैं। |

## 4:4 ध्वनिलेखागार (Music Archives) एक विशिष्ट अभिलेखागार :

### 4:1:व्याख्या

- सामान्यतः ध्वनिमुद्रिकाओ का संगृह स्थान-'ध्वनिलेखागार' कहलाता है।
- ऐसा संगृहस्थान जिसमें ध्वनिमुद्रण तकनीक की शुरुआत से प्रवर्तमान समय के अत्याधुनिक तकनीक में किए गए तमाम ध्वनिमुद्रणों का संकलन हो।
- ऐसा संगृहस्थान जिसमें प्रत्येक ध्वनिमुद्रणों को सुयोग्य तरीके से वर्गीकृत किया गया हो।
- ऐसा संगृहस्थान जिसमें ध्वनिमुद्रणों को डिजिटल स्वरूप में भी रखा जाता हो एवं जिस माध्यम में मूलतः ध्वनिमुद्रित किया गया हो वह प्रति भी संरक्षित रक्खी जाती हो।
- ऐसा संग्रहस्थान जहाँ ध्वनिमुद्रणों की समय समय पर योग्य देखभाल की जाती हो।
- ऐसा स्थान जहाँ संगीत प्रेमी जनता को संगृहीत ध्वनिमुद्रणों को सुनने सुनाने के लिए एक व्यवस्था सुनिश्चित की गई हो।

### 4:4:2 उद्देश्य :

- गुरुओ के माध्यम से निर्वाहित होती संगीत जैसी अमूर्त विधाओ में पथ प्रदर्शक अत्यंत अनिवार्य है। यदि गुरु और समग्र गुरूपरंपरा सदैव मार्गदर्शक के रूप में रहे तो विद्यार्थी का ज्ञान परीपक्वताओ के शिखर सर कर सकता है, इतना ही नहीं अनेक नए आयामो के निर्माण के लिए कारणभूत हो सकता है। ध्वनिलेखागार निर्माण के उद्देश्य को निम्न दर्शित मुद्दो में विभाजीत किया जा सकता है।

- ध्वनिलेखागार का मुख्य उद्देश्य भारतीय संगीत कला के तमाम अग्रगण्य कलाकारो के संगीत विषयक विचारों तथा उनकी परंपराओ के विषय में की गई चर्चाए, रचनाए, अनुभव जिसको भविष्य में कोई भी नकार न सके, उसको आगामी पीढ़ी तक पहुंचाने का है।
- जिस संगीत साधको ने अपना सम्पूर्ण जीवन संगीत की सेवा में समर्पित किया हो, एसे ज्ञानीओ ने तालीम के दौरान अर्जित किया हुआ ज्ञान भविष्य में संगीत के विद्यार्थीओ एवं गुनीजनों को उपयोगी हो सके तथा जिस विद्यार्थीओ को कीसी खास घराने के विषय में माहिती प्राप्त करनी हो वह एसे ध्वनिलेखागारों में से प्राप्त कर सकते है।
- ध्वनिलेखागार में संगीत क्षेत्र की सभी विधाओं का समन्वय होता है। यह शोध के परिप्रेक्ष्य में उत्तर भारतीय शास्त्रीय गायन के अनेक सुप्रसिद्ध घराने ग्वालियर, आग्रा-अत्रोली, किराना, पटियाला, विष्णुपुर, बनारस, भिंडीबजार, मेवाती, इन्दौर, शाम चौरासी इत्यादि एवं गायन की अनेक विधाए जैसे कि ध्रुपद-धमार, तराना, ठुमरी, कजरी, चैती, बारहमासा इत्यादि का तलस्पर्शी तथा तुलनात्मक अभ्यास संभव हो सकता है।
- विद्यार्थीओ को प्रारंभिक से लेकर उच्चस्तरीय माहिती तथा तमाम गुरूपरंपराए एक ही स्थान पर अत्यंत आधुनिक प्रौध्योगिकी के आध्याम से सुलभ हो सके इसलिए ध्वनिलेखागार का निर्माण आवश्यक है।

### 4:4:3 आवश्यकता :

- मुख्यत्वे संस्कृति संरक्षण के लिए ध्वनिलेखागार अत्यंत आवश्यक है।
- भारत में ध्वनिमुद्रण के पिछले 120 साल के इतिहास में हुए ध्वनिमुद्रणों की मूल प्रत एवं उनके इतिहास का जतन ध्वनिलेखागार में किया जाता है।
- घराना परंपराओ का पूर्ण चितार एवं उनमें कालानुसार होते बदलाव को ध्वनिलेखागार संझोए रखता है।

## 4:5 ध्वनिलेखागार के प्रकार एवं कार्यप्रणाली :

ध्वनिलेखागार को कार्यप्रणाली के अनुसार विभाजित किया जा सकता हैं। मुख्यतः ध्वनिलेखागार को दो प्रकार में विभाजीत किया जा सकता हैं।

1. व्यक्तिगत ध्वनिलेखागार
2. सार्वजनिक ध्वनिलेखागार

## 4:5:1 व्यक्तिगत ध्वनिलेखागार

मानव स्वभाव अपने अस्तित्व को लेकर सदैव कार्यशील हैं। वह अपनी रूचि के अनुसार एक शौख रखता हैं। जिससे वह अपने आप को तृत्पता की अनुभूति देता हैं यानि कि अपने जीवन को सार्थक करने में प्रयत्नशील रहता हैं।

सामान्यतः व्यक्तिगत ध्वनिलेखागार एक शौकिया रूप से बना हुआ ध्वनिलेखागार हैं। किसी संगीतप्रेमी ने अपने निजी रस के अनुसार किसी एक प्रकार के घराने, गायक या विधा के लिए विशेष प्रेम होने से एक सम्पूर्ण समर्पित रूप से उनके ध्वनिमुद्रण को एकत्रित करने से निर्मित हुआ एक अभिलेखागार हैं। इस प्रकार के ध्वनिलेखागार के मालिक वह स्वयं होते हैं। उन ध्वनिमुद्रणों को वह अपने तरीके से अपनी ही निर्मित की हुई पद्धतियों से सञ्झोए रखते हैं और समय समय पर उनका आनंद लेते हैं एवं उनके मित्र समुदायों को उनका आस्वाद और अपने व्यक्तिगत ध्वनिलेखागार के बारे में अवगत कराते रहते हैं।

दूनिया भर में एसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने ही निजानंद के लिए अपने रस के विषय पर शोध करके और अपने ही आर्थिक प्रयोजन से अनेक कलाकृतिओं को संगृहीत और संरक्षित किया हैं। जैसे उन्होने अपना पूर्ण जीवन उन कलाकृतियों को एकत्रित, संरक्षित एवं प्रचार-प्रसार हेतु समर्पित कर लिया हों। भारत वर्ष में भारतीय संस्कृति के समर्पित रसिको ने यह कार्य भी अद्‌भूत रूप से किया हैं।

एक संगीत साधक अपनी बाल्यावस्था से लेकर पूर्ण रूप से समर्थ कलाकार होने की विभिन्न अवस्थाओ में अपने गुरु, गुरु परंपरा के अन्य तमाम दिग्गज कलाकार और अन्य जिन जिन कलाकारो से बेहद प्रेरित होते हैं, वह सभी कलाकारों के ध्वनिमुद्रण को अपनी अध्ययन-अध्यापन प्रणाली के रूप में या प्रेरणा के स्रोत के रूप में संगृहीत करता हैं। जिसमे वह अपनी सांगीतिक परंपरा के इतिहास से लेकर प्रवर्तमान समय में वह परंपरा का प्रवाह का अभ्यास कर सके एसा स्वयं के लिए एक संगृह तैयार करता हैं। अपनी परंपरा के कलाकारो के विचार, विशिष्टता, साक्षात्कार, अनुभव, प्रवर्तमान स्वरूप इत्यादि अनेक विषय पर गहन अध्ययन कर सके एसी व्यवस्था खुद के लिए संभव करता हैं।

वह ध्वनिमुद्रणों को सुनकर विविध प्रकार से अपनी समझ को बढ़ा भी सकते हैं, और एक रूप भी दे सकते हैं। वही स्वयं के लिए कि गई व्यवस्था समय के प्रवाह के साथ दूर्लभ संगृह का रूप ले लेती हैं। जो केवल सांगीतिक ग्रंथालय न रहकर, सांगीतिक ध्वनिलेखागार बन जाती हैं। जो व्यक्तिगत ध्वनिलेखागार का प्रकार हैं।

**व्यक्तिगत ध्वनिलेखागार की कार्यप्रणाली :** व्यक्तिगत ध्वनिलेखागार की कार्यप्रणाली संपूर्णतः व्यक्ति निर्मित होती हैं। जिसमे कोई व्यवस्थित रूप हो यह निश्चित नहीं है। व्यक्तिगत ध्वनिलेखागार में रसिक /

कलाकार / ध्वनिलेखपाल द्वारा व्यक्तिगत बौद्धिक और आर्थिक क्षमता के अनुसार ध्वनिमुद्रणों का संगृह और संरक्षण किया जाता हैं। कार्यप्रणाली पर व्यक्ति की सांगीतिक सूझ-बूझ, व्यक्तिगत स्वभाव और आर्थिक क्षमता का पूर्ण प्रभाव दिखाई पड़ता हैं। व्यक्ति आर्थिक रूप से सम्पन्न हो तो वह इस कार्य के लिए संबंधित तकनीकी क्षेत्र के विशेषज्ञ की सहायता लेकर ध्वनिलेखागार को एक अत्याधुनिक रूप दे सकते हैं। कालक्रम अनुसार तत्कालीन तकनीकी पद्धतियों से संगृहीत ध्वनिमुद्रणों का प्रवर्तमान आधुनिक समय का डिजिटाइज्ड फॉर्मेट तैयार करके रख सकते हैं या फिर वैसे का वैसा संभालकर रख सकते हैं। व्यक्ति स्वयं सांगीतिक रूप से विषय का ज्ञान रखता हो तो वह अपनी निजी शैली विकसीत कर सकता हैं अथवा अपने संगीत क्षेत्र से जुड़े मित्र, स्नेही या विशेषज्ञ की सहायता ले सकते हैं।

यह प्रकार के ध्वनिलेखागार सामान्यतः अपने ही घर में या किसी अपने अंगत स्थान पर बनाए गए होते हैं इसलिए यह ध्वनिलेखागार का प्रचार-प्रसार भी व्यक्ति के निजी स्नेही या मित्र मण्डल तक सीमित रहेता हैं। यह सार्वजनिक रूप नहीं ले सकता क्योंकि इस में अनजान लोगो को लाभान्वित होने की अनुमति नहीं होती। व्यक्तिगत अपनी मर्यादाए एवं कालक्रम के अनुसार उस व्यक्ति के रस-रूचि में होते बदलाव भी एसे व्यक्तिगत ध्वनिलेखागार पर असरकर्ता हैं। यदि उस व्यक्ति की आयु इतनी बढ़ चूंकी हो और वह स्वयं उनके ध्वनिलेखागार पर कार्य करने में सामर्थ्यवान न हो एसे किस्से में वह ध्वनिलेखागार के निभाव के लिए अन्य लोगों पर आश्रित रहते हैं। व्यक्ति को उनके विचार के अनुरूप वह ध्वनिलेखागार का उत्तरदायित्व किसी संरक्षित हाथों में सोंपने का योग्य मार्ग न मिले तो वह अपना किया सम्पूर्ण कार्य सार्वजनिक ध्वनिलेखागार को समर्पित कर देते हैं। जहा वो अपनी शर्ते भी रख सकते हैं।

## 4:5:2 सार्वजनिक ध्वनिलेखागार

"बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय" सर्व संगीत रसिको के लिए जो ध्वनिलेखागार उपयुक्त हैं, वह सार्वजनिक ध्वनिलेखागार हैं। एसे ध्वनिलेखागार मुख्यतः तीन प्रकारो में विभाजीत किए जा सकते हैं।

- विश्वविद्यालय के ध्वनिलेखागार
- संस्थाकीय / ट्रस्ट संचालित ध्वनिलेखागार
- सरकार हस्तक के ध्वनिलेखागार

**विश्वविद्यालय के ध्वनिलेखागार :-** भारत के अनेक विश्वविद्यालय में फाइन आर्ट्स और पर्फोर्मिंग आर्ट्स कॉलेज में विद्यार्थीओ के अध्ययन-अध्यापन प्रणाली के लिए एक ग्रंथालय और ध्वनिलेखागार की व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा की जाती हैं। सांगीतिक क्षेत्र के विषयक विभिन्न पुस्तकें और अनेक ध्वनिमुद्रणों का संग्रह

विद्यार्थीऊ के लिए किया जाता हैं। विश्वविद्यालय द्वारा विविध विधाओं पर सेमिनार, लेक्चर डेमोस्ट्रेशन और कार्यक्रमों का आयोजन नियमित रूप से होता हैं। उनके ध्वनिमुद्रण मुख्यतः अध्ययन-अध्यापन प्रणाली के अनुरूप होते हैं। जिसे भविष्य में अनेक विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं।

भारत के लगभग तमाम विश्वविद्यालय जहाँ फाइन आर्ट्स और पर्फोर्मिंग आर्ट्स के कॉलेज हैं, वहाँ यह ध्वनिलेखागार हैं।

**1.** डिपार्टमेन्ट औफ़ म्युजिक, बनारस हिंदु यूनिवर्सिटि, वाराणसी

**2.** डिपार्टमेन्ट औफ़ फाइन आर्ट्स, बेंग्लोर यूनिवर्सिटि, बेंग्लोर

**3.** डिपार्टमेन्ट औफ़ म्युजिक, केरल यूनिवर्सिटि, तिरुवनंथ्पुरम

**4.** डिपार्टमेन्ट औफ़ म्युजिक एण्ड डांस, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटि, कुरुक्षेत्र

**5.** डिपार्टमेन्ट औफ़ म्युजिक, पंजाब यूनिवर्सिटि, पटियाला

**6.** डिपार्टमेन्ट औफ़ पर्फोर्मिंग आर्ट्स, यूनिवर्सिटि औफ़ पूणे, पूणे

**7.** डिपार्टमेन्ट औफ़ म्युजिक, एम.डी. यूनिवर्सिटि, रोहतक

**8.** डिपार्टमेन्ट औफ़ फाइन आर्ट्स, श्री पद्मावती वूमन्स यूनिवर्सिटि, तिरुपति

**9.** डिपार्टमेन्ट औफ़ फाइन आर्ट्स, भारतीदासन यूनिवर्सिटि, तिरुचिरपल्लि

**10.**डिपार्टमेन्ट औफ़ म्युजिक, यूनिवर्सिटि औफ़ मुंबई

**11.**डिपार्टमेन्ट औफ़ म्युजिक, SNDT यूनिवर्सिटि, मुंबई

**12.**डिपार्टमेन्ट औफ़ रविन्द्र संगीत, डांस एण्ड ड्रामा, विश्वभारती यूनिवर्सिटि, शांतिनिकेतन

**विश्वविद्यालयीन ध्वनिलेखागार की कार्यप्रणाली :** विश्वविद्यालय में निर्मित किए गए ध्वनिलेखागार की कार्यप्रणाली विश्वविद्यालय के नियमोनुसार तय की जाती हैं। विश्वविद्यालय के द्वारा विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाती हैं। निर्वहन के लिए आर्थिक अनुदान विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता हैं।

**संस्थाकीय/ट्रस्ट संचालित ध्वनिलेखागार:-** भारत में सांगीतिक शिक्षण मुख्यतः गुरु-शिष्य परंपरा एवं प्रवर्तमान शैक्षणिक पद्धति से होती हैं। गुरु-शिष्य परंपरा में गुरुओं द्वारा अध्ययन-अध्यापन के लिए संस्था निर्मित की जाती हैं। यह संस्थाए अनेक शिष्यों को सांगीतिक शिक्षण प्रदान करती हैं। वह अपने संस्था में तैयार होते विद्यार्थओं के लिए कार्यक्रमों का आयोजन भी करती हैं और ध्वनिमुद्रण भी करती हैं। वैसी संस्थाए

ट्रस्ट अपना एक अलायदा सांगीतिक ग्रंथालय अथवा ध्वनिलेखागार निर्मित करती हैं। यह ध्वनिलेखागार केवल अपने विद्यार्थियों के लिए ही नहीं किन्तु उस संस्था/ ट्रस्ट से जुड़े अनेक संगीत रसिकों के लिए उपलब्ध रहता हैं।

निजी कंपनीओ द्वारा सांस्कृतिक प्रवृत्तिओं को वेग मिले इसलिए ट्रस्ट निर्मित करके उच्चकोटी के कलागुरुओं को आमंत्रित करके सांगीतिक शैक्षणिक कार्य किया जाता हैं। वहाँ भी विश्वविद्यालय और अन्य संस्थाओं की तरह ध्वनिलेखागार निर्मित होते हैं।

**संस्थाकीय/ट्रस्ट संचालित ध्वनिलेखागार की कार्यप्रणाली :** संस्था या ट्रस्ट द्वारा निर्मित किए गए ध्वनिलेखागार की कार्यप्रणाली संस्था या ट्रस्ट के नियमोनुसार तय की जाती हैं। संस्था के द्वारा ध्वनिलेखागार के लिए विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाती हैं। निर्वहन के लिए आर्थिक व्यवस्था संस्था की जमा पूंजी या अनुदान से किया जाता हैं।

## 4:6 भारत के ध्वनिलेखागार

### 4:6:1 सरकार हस्तक के ध्वनिलेखागार-

दुनिया में कला का संरक्षण एवं संवर्धन राजाओ द्वारा किया जाता था। जो राजा कलाप्रेमी होते थे, उनके कार्यकाल के दौरान कला विकसित होती थी। जिनके प्रमाण पूरे विश्व में मौजूद हैं। कालक्रम से यह राजवी परंपरा का लोकशाही परंपरा में विलिनीकरण होने के कारण यह कार्य सरकार द्वारा किया जाता हैं। हालाँकि जहाँ राजवी वंशज और उनकी परंपरा मौजूद हैं, वहाँ आज भी कला के प्रोत्साहन के लिए वह सदैव तत्पर और समर्पित रहते हैं। उदाहराणार्थ, महाराजा सयाजीराव गायकवाड, बड़ौदा स्टेट, गुजरात।

भारत सरकार के अनेक कार्यालय संस्कृति के जतन के लिए कार्यरत हैं, जिसमे मुख्यतः ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, प्रसारभारती, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ही अंतर्गत राष्ट्रीय सांस्कृतिक ऑडियो-विज्युयल अभिलेखागार(एनसीएए) इत्यादि।

**सरकार हस्तक के ध्वनिलेखागार की कार्यप्रणाली:**

सरकार द्वारा विभिन्न संबन्धित क्षेत्र के अनेक विशेषज्ञों द्वारा ध्वनिलेखागार की निर्मिती एवं निर्वहन किया जाता हैं। सरकार द्वारा आर्थिक अनुदान से निर्वहन होता हैं, इसलिए सर्वोच्च प्रणाली विकसित होती हैं।

## 4:6:1:1 ऑल इंडिया रेडियो (AIR)

भारत में ब्रोडकास्टिंग एजंसी मुख्यतः ऑल इंडिया रेडियो (AIR) और दूरदर्शन (डीडी) ने सामान्य जनता में संगीत को फैलाने में और प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हैं। नाविन्यतापूर्ण रूप से और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कार्यक्रमो का प्रसारण होता हैं। ऑल इंडिया रेडियो सन 1932 से शुरू हुआ। उनका अभिलेखागार सन 1956 में स्थापित हुआ और सन 1960 से विधिवत अभिलेखागार में कार्यरत हैं।

- श्राव्य संगीत मुख्यतः भारतीय शास्त्रीय संगीत और कर्णाटीक संगीत रेडियो संगीत संमेलन के द्वारा प्रसारित किया जाता हैं।
- VVIPs जैसे कि भारत के राष्ट्रपति श्री, भारत के वडा प्रधान श्री द्वारा भारत के किसी भी जगह पर दिये गए वक्तव्य या भाषण।
- रेडियो टॉक, साक्षात्कार इत्यादि

अप्रैल, 2007 से ध्वनिलेखागार ने 25,000 घंटे से ज्यादा का रेकोर्डिंग संग्रह किया हैं। लगभग 60 % संग्रह को डिजिटाइज़ करके CD के रूप में संरक्षित कर दिया गया हैं। भारत के अन्य रेडियो स्टेशन से ऐसा संग्रह ध्वनिलेखागार को भेजा जाता हैं।

उसके साथ साथ, प्रादेशिक प्रसारण केन्द्रो पर लगभग १५ गौण-ध्वनिलेखागार प्रादेशिक कार्यक्रमो के संरक्षण और प्रसारण हेतु निर्मित किए गए हैं। विविध भारती ऑल इंडिया रेडियो की एसी शाखा हैं, जिसने हिन्दी फिल्म संगीत और सुगम संगीत को प्रादेशिक भाषा में संग्रहीत किया और अपना स्वतंत्र ध्वनिलेखागार विकसीत किया हैं।

टैप और CDs को अनुकूल वातावरण युक्त विशिष्ट रूप से तैयार किए संग्रह स्थान पर रक्खा जाता हैं।

सांगीतिक अभिलेखागार दो विभाग में निभाव किया जाता हैं।

1. VVIPs के दिये गए भाषणो/ प्रवचनों का अभिलेखागार
2. भारतीय शास्त्रीय संगीत के ध्वनिमुद्रण का अभिलेखागार

डिजिटल अभिलेखागार/ग्रंथालय स्वतंत्र इकाई हैं। यह अभिलेखागार सामान्यतः कार्यक्रम निर्माताओ से संचालित होता हैं।

अभिलेखागार में सांगीतिक सामग्री (रेकोर्डिंग) को उधार देना प्रतिबंधित हैं। अभिलेखागार से ध्वनिमुद्रण की नकल CD में लेकर प्रादेशिक प्रसारण केन्द्रो को भेजी जाती है, जिससे वही कार्यक्रम अनुरूप समय पर पुनः प्रसारित किया जा सके।

ऑल इंडिया रेडियो के ध्वनिलेखागार में संग्रहीत ज़्यादातर ध्वनिमुद्रण आधुनिक तकनीक से युक्त साधनो से मुद्रित किया गया हैं। ऑल इंडिया रेडियो ने यह दूर्लभ डिजिटाइज़ ध्वनिमुद्रणों को सामान्य जनता में प्रसारित करने का बड़ा कदम उठाया हैं। जिसमें कॉपीराइट के मुद्दे को सफलतापूर्वक सुलजाया गया हैं। जो संग्रह आज किफ़ायती दामों पर सामान्य जनता के लिए उपलब्ध हैं।

ध्वनिलेखागार भविष्य में विशिष्ट सेवा "Audio on Demand" शुरू करने के विचार में कार्यरत हैं।

### 4:6:1:2 दूरदर्शन

ऑल इंडिया रेडियो से अलग, दूरदर्शन ने अपना द्रश्य-श्राव्य अभिलेखागार सन 2003 नई दिल्ही में शुरू किया। दूरदर्शन ध्वनिलेखागार (DD Archives) ने संगीत, नृत्य, नाट्य, दस्तावेजी फिल्म और भाषणों को VCDs और DVDs प्रारूप में तबदील कर लिए हैं। AIR की भाँति दूरदर्शन ने प्रसारित कार्यक्रमों को VCDs और DVDs में पुनः मुद्रित करके सामान्य जनता के लिए कोमर्शियली प्रस्तुत की हैं। अभिलेखिय सामाग्री को डिजिटाइज़ करने के लिए एक योग्य सेट अप तैयार किया गया हैं। CDs और DVDs को अनुरूप वातावरण में संग्रहीत किया जाता हैं।

### 4:6:1:3 प्रसार भारती

प्रसार भारती अभिलेखागार न केवल महान कलाकारों के यादगार प्रदर्शनों का खजाना है, जिन्होंने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक, संगीत और नृत्य विरासत में योगदान दिया है, बल्कि स्वतंत्रता दिवस समारोह, गणतंत्र दिवस परेड जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों से संबंधित दुर्लभ मीडिया संपत्तियों का संग्रह भी है। , प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों आदि द्वारा राष्ट्र को संबोधित करने के साथ-साथ हमारे देश में प्रसारण के आगमन के बाद से अन्य महत्वपूर्ण प्रसारण। ये दुर्लभ संपत्तियां

संगीत, नृत्य, नाटक, साक्षात्कार, लघु फिल्मों, वृत्तचित्रों, फीचर फिल्मों आदि जैसी सभी शैलियों में साउंड रिकॉर्डिंग और ए/वी फुटेज के रूप में हैं। [1]

3 अप्रैल, 1954 को राष्ट्रपतियों के विशेष संदर्भ में सभी गणमान्य व्यक्तियों के भाषणों के प्रतिलेखन तैयार करने का मुख्य कार्य सौंपकर अभिलेखीय गतिविधियों की शुरुआत 3 अप्रैल, 1954 को रेडियो रिकॉर्डिंग की ट्रांसक्रिप्शन सेवा के रूप में हुई।

**उद्देश्य-**अखिल भारतीय रेडियो और दूरदर्शन नेटवर्क पर उत्पन्न ध्वनि रिकॉर्डिंग और ऑडियो-विज़ुअल के रूप में मीडिया संपत्तियों का संग्रह, डिजिटलीकरण और संरक्षण प्रसार भारती अभिलेखागार का प्राथमिक उद्देश्य है। उद्देश्य में भावी पीढ़ी, अनुसंधान और कला और संस्कृति के पोषण के लिए डिजिटल डोमेन में विरासत मीडिया का संरक्षण शामिल है। प्रसार भारती के लिए राजस्व उत्पन्न करने के लिए मीडिया संपत्तियों के मुद्रीकरण पर ध्यान देने के साथ-साथ एआईआर/डीडी चैनलों और ओटीटी प्लेटफार्मों को फीड करने के लिए अभिलेखीय सामग्री को भी फिर से तैयार किया गया है।

**सेट अप-**प्रसार भारती ने देश भर के सभी आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्रों में उपलब्ध मीडिया संपत्तियों की पहचान और संग्रह के लिए एक व्यवस्था स्थापित की है। संग्रह सेटअप में निम्नलिखित प्रतिष्ठान हैं: –

1. केंद्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली
2. प्रादेशिक अभिलेखागार पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता
3. प्रादेशिक अभिलेखागार पश्चिम क्षेत्र, मुंबई
4. प्रादेशिक अभिलेखागार दक्षिण क्षेत्र, चेन्नई
5. प्रादेशिक अभिलेखागार उत्तर पूर्व क्षेत्र, गुवाहाटी

विभिन्न क्षेत्रों/प्रदेशों में स्थापित संग्रह विभिन्न स्टेशनों/केंद्रों पर उपलब्ध कीमती मीडिया संपत्तियों की पहचान, डिजिटलीकरण और संग्रह में लगा हुआ है।

**केंद्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली-** केंद्रीयअभिलेखागार आकाशवाणी भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। यह प्रसार भारती के उत्तर और मध्य क्षेत्र की अभिलेखीय आवश्यकताओं को पूरा करता है। केंद्रीय अभिलेखागार दो विंगों अर्थात् आकाशवाणी अभिलेखागार और दूरदर्शन अभिलेखागार के साथ कार्य करता है।

---

**1.** https://prasarbharati.gov.in/pb-archives/

**आकाशवाणी अभिलेखागार**

**(क) डिजिटल ध्वनि अभिलेखागार/पुस्तकालय-** डिजिटल ध्वनि अभिलेखागार प्रख्यात व्यक्तित्वों, स्वतंत्रता सेनानियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, श्री जैसे राष्ट्रीय नेताओं की अमूल्य रिकॉर्डिंग/ आत्मकथाओं का एक समृद्ध भंडार है। जे.आर. डी टाटा, उस्ताद अली अकबर खान, श. हरिवंश राय बच्चन और डॉ वर्गीस कुरियन। इसके अलावा पुस्तकालय में दुर्लभ संगीत रिकॉर्डिंग, नाटक, फीचर, वृत्तचित्र और व्याख्यान संरक्षित हैं।

**(ख) प्रोग्राम एक्सचेंज यूनिट-** प्रोग्राम एक्सचेंज लाइब्रेरी देश भर में फैले आकाशवाणी स्टेशनों के बीच धारावाहिकों, फीचर, सामुदायिक गीतों, नाटकों और मासिक श्रृंखला नाटकों जैसे रेडियो कार्यक्रमों का प्रसार करती है।

**(ग) ट्रांसक्रिप्शन सेवा-** यह इकाई राष्ट्रपतियों द्वारा दिए गए भाषणों की रिकॉर्डिंग को लिप्यंतरित और संरक्षित करती है।

**(घ) नवीनीकरण इकाई-** यह इकाई आकाशवाणी के अभिलेखीय मूल्य रिकॉर्डिंग की ऑडियो गुणवत्ता को बढ़ाने का ध्यान रखती है

**(च) वाणिज्यिक विज्ञप्ति-** ऑडियो संपत्ति जैसे भाषण, फीचर, वृत्तचित्र आदि लाइसेंस के साथ वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक आधार पर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। ध्वनि रिकॉर्डिंग/लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नीति/दर कार्ड निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है.[1]

इस इकाई ने अपने समृद्ध अभिलेखागार से कई एसीडी/डीवीडी खिताब जारी किए हैं। रिलीज बिक्री के लिए www.amazon.in और www.archives.prasarbharat पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

**(छ) सोशीयल मीडिया सेल-** केंद्रीय अभिलेखागार आकाशवाणी की मीडिया सामग्री सोशीयल मीडिया माध्यम जैसे यूट्यूब, फेसबूक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम से प्रकाशित करता है।

**डीडी अभिलेखागार-**

**(क) वीडियो लाइब्रेरी/अभिलेखागार-** केंद्रीय अभिलेखागार की वीडियो लाइब्रेरी सामग्री से भरपूर पुस्तकालय है और प्रसारभारती नेटवर्क के विभिन्न डीडी केंद्रों से प्राप्त टेपों का एक केंद्रीय भंडार है। पुस्तकालय सेटअप में संग्रह गतिविधियों के मूल के रूप में कार्य करता है। इसमें विरासती एनालॉग और नए डिजिटल प्रारूप में विभिन्न प्रकार के टेपों का विशाल संग्रह है।

---

**1.** Policy/Rate Card

**(ख) डिजिटलीकरण और संग्रह-** डीडी केंद्रों द्वारा उत्पन्न एनालॉग मीडिया सामग्री को डिजिटाइज़ किया जाता है और मीडिया एसेट मैनेजमेंट (एमएएम) सिस्टम में संरक्षित किया जाता है। जन्म डिजिटल सामग्री को सीधे एमएएम सिस्टम में संग्रहीत किया जा रहा है।

**(ग) पुस्तकालय सूचना प्रणाली-** आकाशवाणी स्टेशनों और दूरदर्शन नेटवर्क के विभिन्न कार्यक्रम पुस्तकालयों में उपलब्ध मीडिया संपत्तियों की खोज/सूचीकरण के लिए एक ऑनलाइन पुस्तकालय सूचना प्रणाली तैनात की गई है।

**(घ) विरासत मीडिया की सफाई और बहाली-** किसी भी प्रकार की क्षति के लिए लीगेसी टेपों की अच्छी तरह से जाँच की जाती है। डिजिटलीकरण से पहले जरूरत पड़ने पर उन्हें साफ किया जाता है और सामग्री को बहाल किया जाता है।

**(च) प्रीपैकेजिंग / रीपर्पसिंग-**डीडी केंद्रों द्वारा प्रसारण उद्देश्यों के लिए डिजिटाइज्ड अभिलेखीय सामग्री को क्यूरेट/रीपैकेज किया जाता है। जनहित की अभिलेखीय सामग्री को ओटीटी/सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए भी रीपैकेज किया जाता है।

**(छ) प्रोग्राम एक्सचेंज-** दूरदर्शन केंद्रों के बीच कार्यक्रमों के आदान-प्रदान के उद्देश्य से केंद्रीय अभिलेखागार में चयनित कार्यक्रमों का एक पूल बनाया गया है। डीडी केंद्रों के बीच प्रसारण के उद्देश्य से इस सामग्री का अक्सर आदान-प्रदान किया जाता है।

**(ज) फुटेज बिक्री-** मीडिया संपत्तियां लाइसेंस के साथ वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक आधार पर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग/लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया/दर कार्ड निम्न लिंक पर उपलब्ध है.[1]

**प्रादेशिक अभिलेखागार पूर्वी क्षेत्र-** साउंड आर्काइव और वीडियो आर्काइव के लिए क्रमशः आकाशवाणी, कोलकाता और डीडी के कोलकाता में पूर्वी क्षेत्र की डिजिटाइजेशन और आर्काइविंग गतिविधियां की जाती हैं।

**प्रादेशिक अभिलेखागार पश्चिम क्षेत्र-** साउंड आर्काइव और वीडियो आर्काइव के लिए क्रमशः वीबीएस, मुंबई और डीडीके मुंबई में पश्चिम क्षेत्र की डिजिटाइजेशन और आर्काइविंग गतिविधियां की जाती हैं।

**क्षेत्रीय अभिलेखागार दक्षिण क्षेत्र-** साउंड आर्काइव और वीडियो आर्काइव के लिए क्रमशः एआईआर चेन्नई और डीडीके चेन्नई में दक्षिण क्षेत्र की डिजिटाइजेशन और आर्काइविंग गतिविधियां की जाती हैं।

---

**1.** Application form/Rate Card for obtaining license/AV footage

**प्रादेशिक अभिलेखागार उत्तर पूर्व क्षेत्र-** साउंड आर्काइव और वीडियो आर्काइव के लिए क्रमशः आकाशवाणी गुवाहाटी और डीडीके गुवाहाटी में उत्तर पूर्व क्षेत्र की डिजिटाइजेशन और आर्काइविंग गतिविधियां की जाती हैं।

## 4:6:1:4राष्ट्रीय सांस्कृतिक दृश्य-श्रव्य अभिलेखागार (IGNCA)नई दिल्ली

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए), नई दिल्ली भारतीय कलाओं के अनुसंधान, प्रलेखन, संरक्षण और प्रसार के लिए और भारतीय संस्कृति की समग्र समझ प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक प्रमुख संस्थान है। पिछले छह दशकों में सृजित भारत की सांस्कृतिक संपदा का एक बड़ा हिस्सा विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों और निजी संग्रहों के साथ दृश्य-श्रव्य रूप में संग्रहीत है। इन होल्डिंग्स की सामग्री भारत की कुछ महानतम कलात्मक प्रतिभाओं की रचनात्मकता को स्थापित करती है। यह एक अमूल्य राष्ट्रीय विरासत है जिसे हमेशा के लिए संरक्षित करने और देश के नागरिकों के लिए सुलभ बनाने की आवश्यकता है। व्यवस्थित और आधुनिक संरक्षण तकनीकों के अभाव में, जागरूकता की कमी और उचित रखरखाव के साथ-साथ जिस माध्यम में इन्हें संग्रहित किया जाता है, उसकी नाजुकता के कारण इन सामग्रियों के हमेशा के लिए नष्ट होने का आसन्न खतरा है। [1]

इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए, संस्कृति मंत्रालय ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में सांस्कृतिक दृश्य-श्रव्य सामग्री के संग्रह के लिए एक परियोजना का प्रस्ताव रखा। संस्कृति मंत्रालय ने दिनांक 3 अप्रैल 2014 के पत्र द्वारा आईजीएनसीए में राष्ट्रीय सांस्कृतिक दृश्य-श्रव्य अभिलेखागार (एनसीएए) परियोजना के लिए स्वीकृति प्रदान की। मंत्रालय ने आईजीएनसीए को राष्ट्रीय सांस्कृतिक दृश्य-श्रव्य अभिलेखागार परियोजना को लागू करने का काम सौंपा।

**परियोजना के उद्देश्य :**

- डिजिटलीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से देश भर के संस्थानों में दृश्य-श्रव्य रूप में उपलब्ध भारत की सांस्कृतिक विरासत की पहचान करना और उसे लोगों के लिए सुलभ बनाना।
- इन दृश्य-श्रव्य संसाधनों को संरक्षित करने के लिए IGNCA और इसके भागीदार संस्थानों के तत्वावधान में अत्याधुनिक डिजिटलीकरण और भंडारण प्रणालियों की स्थापना करना।

**1.** https://ncaa.gov.in/repository/common/about

- एक समर्पित वेबसाइट और इन रिपॉजिटरी का एक वर्चुअल नेटवर्क स्थापित करना और उनके संसाधनों, प्रोग्रामिंग शेड्यूल आदि तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान करना।
- दृश्य- श्रव्य संसाधनों के उत्पादन, भंडारण और पुनर्प्राप्ति में उपयोग की जाने वाली विधियों और तकनीकों का मानकीकरण और आवधिक उन्नयन। कवर की जाने वाली शैलियों में मौखिक परंपराएं, पारंपरिक शिल्प और वस्त्र, नृत्य, संगीत और नाट्य अभ्यास, सांस्कृतिक प्रथाएं और पारंपरिक ज्ञान शामिल होंगे।
- संरक्षण, कैटलॉगिंग, मेटाडेटा निर्माण, डिजिटलीकरण और दृश्य-श्रव्य सामग्री की पुनर्प्राप्ति में क्षमता निर्माण।
- आउटरीच और जागरूकता कार्यक्रमों की स्थापना।

**परियोजना लक्ष्य-** वर्तमान पायलट चरण में, परियोजना को 31 मार्च 2018 तक पूरा किया जाना है, जिसमें मुख्य डिलिवरेबल्स निम्नलिखित हैं:

- 30,000 घंटे से अधिक ऑडियो और वीडियो सामग्री का चयन और डिजिटलीकरण।
- ओपन आर्काइवल इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडल पर इस परियोजना के लिए डिजिटलीकरण और मेटाडेटा मानकों का निर्माण।
- भागीदार संस्थानों की सांस्कृतिक दृश्य-श्रव्य सामग्री की ऑनलाइन सूची तैयार करना।
- दृश्य-श्रव्य संरक्षण, प्रलेखन, डिजिटलीकरण, भंडारण और प्रसार के क्षेत्र में क्षमता निर्माण।

यह परियोजना एक संचालन समिति और एक राष्ट्रीय निगरानी समिति की देखरेख में एक परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) के माध्यम से आईजीएनसीए द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

**परियोजना कार्यान्वयन :**आईजीएनसीए में परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) राष्ट्रीय निगरानी समिति और संचालन समिति के समग्र मार्गदर्शन में परियोजना को कार्यान्वित करती है। पीएमयू देश भर में 26 भागीदार संस्थानों के साथ समन्वय करता है। इन संस्थानों से निकलने वाली चयनित दृश्य-श्रव्य सामग्री को एक डिजिटलीकरण एजेंसी द्वारा डिजिटाइज़ करने और बाद में परियोजना को प्रस्तुत करने की परिकल्पना की गई है। बदले में पीएमयू ने राष्ट्रीय डिजिटल संरक्षण कार्यक्रम के तहत सी-डैक पुणे द्वारा विकसित एक विश्वसनीय भंडार बनाया है। एक्सेस गुणवत्ता वाली डिजिटल फाइलें सार्वजनिक पहुंच के लिए रिपॉजिटरी पर उपलब्ध कराई जाएंगी और इन-हाउस एक्सेस और उपयोग के लिए भागीदार संस्थानों को भी दी जाएंगी। अभिलेखीय गुणवत्ता वाली फाइलें IGNCA, नई दिल्ली और IGNCA, दक्षिणी क्षेत्रीय केंद्र, बेंगलुरु में संग्रहीत

की जाएंगी। पूर्वोक्त कथा को एनसीएए परियोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया के एक योजनाबद्ध आरेख के माध्यम से समझाया गया है।

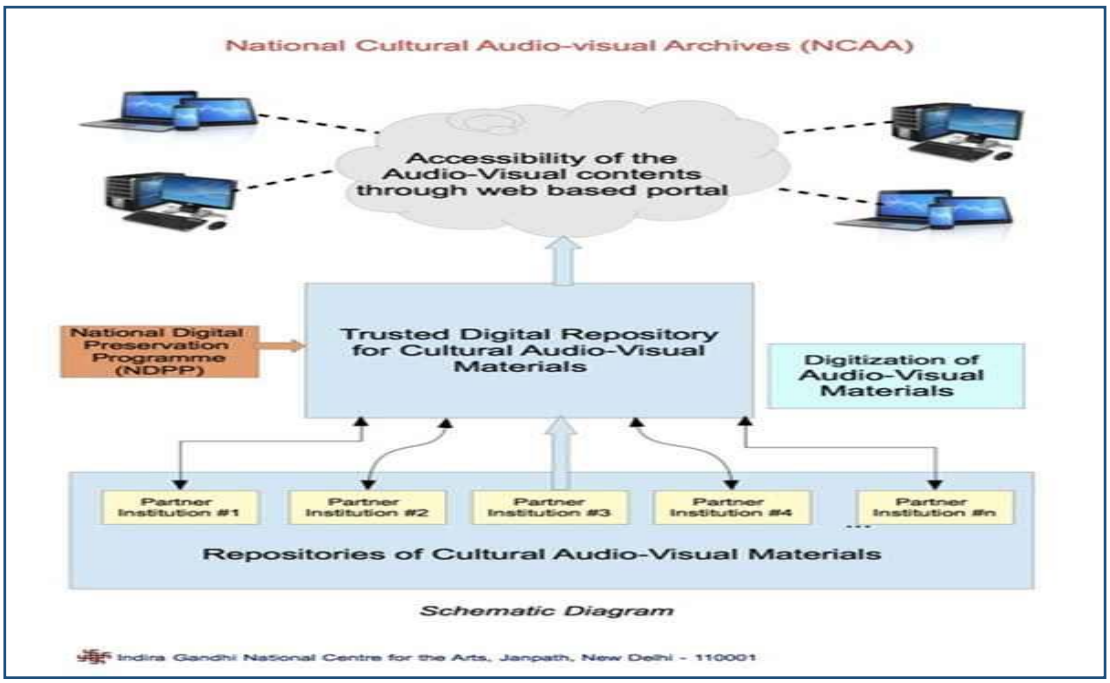


## (IGNCA) परियोजना के भागीदार संस्थान :

1. अखिल भारतीय काशीराज ट्रस्ट, वाराणसी
2. सांस्कृतिक संसाधन केंद्र
3. भारतीय शास्त्रीय नृत्य केंद्र, दिल्ली
4. सिनेमा विजन इंडिया, मुंबई
5. भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली
6. इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़
7. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली
8. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल
9. जेडी सेंटर ऑफ आर्ट, भुवनेश्वर
10. कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई
11. केरल कलामंडलम, त्रिशूर
12. मानव उत्तरदायितव, दिल्ली

13.मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी,हैदराबाद

14.भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली

15.नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद

16.नाट्य शोध संस्थान, कोलकाता

17.लोक प्रदर्शन कला के लिए क्षेत्रीय संसाधन केंद्र, उडुपी

18.रुपायन संस्थान, जोधपुर

19.साहित्य अकादमी, दिल्ली

20.संवाद फाउंडेशन, मुंबई

21.संगीत नाटक अकादमी, दिल्ली

22.संगीत परिषद काशी, वाराणसी

23.सप्तक अभिलेखागार, अहमदाबाद

24.श्री काशी संगीत समाज, वाराणसी

25.विश्वभारती विश्वविद्यालय, शांतिनिकेतन

26.व्यास संगीत विद्यालय, मुंबई

## 4:6:1:5 संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली-

संगीत नाटक अकादमी एक देश की प्रमुख राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के हेतु भारत सरकार द्वारा निर्मित स्वायत्त संस्था हैं। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा सन 1953 मे देश में पर्फ़ोर्मिंग आर्ट्स की सेवा में स्थापित की गई हैं।[1]

**उद्देश्य :**

- भारतीय कला जैसे कि संगीत, नृत्य और नाट्य जैसी विधाओ को संरक्षित एवं संवर्धित करना
- देश के विभिन्न राज्यो और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी विभाग और अकादमीओ के साथ समन्वय और सहयोग करना
- देशभर के पर्फ़ोर्मिंग आर्ट्स क्षेत्र के कलाकारों को अकादमी एवोर्ड प्रदान करना

**1.** https://sangeetnatak.gov.in/sections/documentation

- नए उभरते कलाकारो को फ़ेलोशीप प्रदान करना
- पर्फ़ोर्मिंग आर्ट्स के क्षेत्र में हो रहे संशोधन, दस्तावेजीकरण और प्रकाशन के लिए आर्थिक सहाय प्रदान करना
- सेमिनार / सम्मेलन आयोजीत करना
- द्रश्य-श्राव्य अभिलेखागार के लिए जीवंत प्रसारण रेकॉर्ड करना
- संगीत के वाद्यो के लिए निर्मित संग्रहालय का निभाव करना
- पर्फ़ोर्मिंग आर्ट्स के क्षेत्र के लिए नीतियाँ बनाने और अमली करने के लिए भारत सरकार को सुझाव देना

**पुरालेख विवरण-** सन 1953 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना के बाद से, अकादमी ने भारत में प्रदर्शन कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए खुद को समर्पित किया है और युवा पीढ़ी के होनहार कलाकारों के साथ-साथ प्रसिद्ध दिग्गजों द्वारा प्रदर्शन की व्यवस्था करके, छात्रवृत्ति प्रदान करके और प्रलेखन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से इसे हासिल करना चाहती है।

पिछले 50 वर्षों में, संगीत नाटक अकादमी ने प्रदर्शन कलाओं पर 16 मिमी सिने सामग्री, ऑडियो टेप, वीडियो टेप, फोटोग्राफिक इमेज और दस्तावेज़ फिल्मों का एक बड़ा संग्रह बनाया है।

अभिलेखागार की कुल होल्डिंग (मार्च 2014 तक) 2,57,809 श्वेत-श्याम और रंगीन तस्वीरें, 40,443 रंगीन स्लाइड, 8,361 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग और 7,965 घंटे की ऑडियो रिकॉर्डिंग और लगभग 1.44 लाख 16 मिमी फिल्म सामग्री है।

पिछले कुछ वर्षों में, अकादमी ने प्रदर्शन कलाओं पर ऑडियो/वीडियो टेप, फोटोग्राफ और फिल्मों का एक बड़ा संग्रह तैयार किया है। सन 1981 से इसने अपने होल्डिंग्स में वीडियो टेप भी जोड़े हैं। सामग्री को ऑडियो और वीडियो देखने, संगीत डबिंग और फिल्म प्रक्षेपण के लिए सार्वजनिक सुविधाओं के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। अकादमी के अभिलेखागार से सामग्री का व्यापक रूप से प्रकाशनों, फिल्मों, टेलीविजन और भारत की प्रदर्शन कलाओं पर शोध के लिए उपयोग किया गया है।

**दुर्लभ रिकॉर्डिंग विवरण -** संगीत नाटक अकादमी का रिकॉर्डिंग स्टूडियो रवींद्र भवन की तीसरी मंजिल पर स्थित है, जो शायद सबसे पुराने स्टूडियो में से एक है, जो उचित ध्वनिक उपचार के साथ बनाया गया है और शास्त्रीय/गायन और लोक संगीत की रिकॉर्डिंग के लिए योग्य तकनीकी कर्मियों द्वारा संचालित अत्याधुनिक उपकरणों से पूरी तरह सुसज्जित है। प्रारंभ में, स्टूडियो का उपयोग विशेष रूप से पेशेवर

ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए किया गया था, लेकिन ७० के दशक की शुरुआत में सांस्कृतिक संगठनों को भी किराये के आधार पर अकादमी के स्टूडियो में रिकॉर्ड करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, अकादमी की बढ़ी हुई रिकॉर्डिंग के साथ, यह सुविधा बंद कर दी गई थी। बाद में सन १९८१ में, स्टूडियो में कुछ संशोधन किए गए और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए साइक्लोरामा स्क्रीन के साथ पूर्ण प्रकाश व्यवस्था स्थापित की गई।

**रिकॉर्डिंग तकनीक-** वायर स्पूल रिकॉर्डर पर प्रारंभिक प्रलेखन कार्य किया गया था। उस्ताद हाफिज अली खान और टी. चौड़िया जैसे महान उस्तादों और कई अन्य उस्तादों को इस प्रारूप में दर्ज किया गया था। इनमें से अधिकांश रिकॉर्डिंग को बाद में एनालॉग टेप में स्थानांतरित कर दिया गया। समय बीतने के साथ, इस प्रारूप को क्वार्टर इंच चुंबकीय टेप से बदल दिया गया।

प्रारंभ में, अभिलेखीय सिने सामग्री के क्षेत्र में, उत्क्रमण रंगीन फिल्मों पर 16 मिमी प्रारूप में फिल्मांकन किया गया था। 50 के दशक की शुरुआत में गणतंत्र दिवस परेड और लोक नृत्य महोत्सव का फिल्मांकन प्रलेखन इकाई की एक नियमित गतिविधि थी। शायद उस समय के लोकनृत्यों की समृद्ध परंपरा का एकमात्र संपूर्ण संग्रह अकादमी के पास उपलब्ध है।

सन 1981 से अकादमी ने रेकोर्डिंग यु-मेटिक लॉ बैंड प्रारूप में करना शुरू कर दिया गया, जो सन 1991 में क्रमशः हाई बैंड में तबदील कर दिया गया। उसी कार्यकाल में DAT प्रारूप ऑडियो रेकोर्डिंग के लिए आरंभ हो चूका था। लंबे समय के सेमिनार और वर्कशॉप के रेकोर्डिंग के लिए SVHS और VHS प्रारूप प्रायः उपयोग में आने लगा। सन 1999 में वीडियो रेकोर्डिंग फिरसे आंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त BETA प्रारूप में आरंभ हुआ। सन 2001 में दस्तावेजीकरण इकाई ने डिजिटल तकनीक से वीडियो रेकोर्डिंग करना शुरू कर दिया।

## 4:6:2 संस्था/ट्रस्ट/विश्वविद्यालय संचालित ध्वनिलेखागार

### 4:6:2:1 सप्तक आर्काइव्स, अहमदाबाद गुजरात-

गुजरात स्थित सांगीतिक रूप से अति समृद्ध ध्वनिलेखागार यानि अहमदाबाद, गुजरात स्थित सप्तक ध्वनिलेखागार। "सप्तक" संस्था के स्थापक और विश्वप्रसिद्ध तबलावादक पंडित नंदन महेता जी की संगीत के साधको, कलारसिको, विचारको और शोधार्थीओ को दी गई हुई सबसे उत्तम भेंट–सौगाद यानि सप्तक ध्वनिलेखागार। संगीत को उसके प्रामाणिक संस्करण में संरक्षित करने के प्रयास में, सप्तक ध्वनिलेखागार

की स्थापना सन 2004 में सप्तक के रजत जयंती वर्ष, संगीत रिकॉर्डिंग को डिजिटाइज़ करने के लिए की गई थी। रिकॉर्डिंग को कई अन्य विवरणों से समृद्ध किया जाता है जैसे कलाकारों की संक्षिप्त जीवनी रेखाचित्र, रिकॉर्डिंग का स्थान और समय, प्रदर्शन विवरण और रागों के बारे में जानकारी भी संग्रहीत की जाती है।
सन 2004 से पंडित नंदन महेता जी द्वारा की गई तमाम अंगत सांगीतिक बैठक और ज्ञान गोष्ठी में से अर्जित ज्ञान एक सीमित दायरे मे न रहे और अन्य वर्ग भी लाभान्वित हो वह उमदा हेतु से पंडित जी द्वारा सप्तकध्वनिलेखागार का निर्माण किया गया है। जो आज भारत का सबसे समृद्ध और डिजिटाइज्ड ध्वनिलेखागार माना जाता है।
10,000 से अधिक घंटो का द्रश्य-श्राव्य संगीत और 2,50,000 जे अधिक ध्वनिमुद्रण और दूर्लभ पुस्तक सप्तक ध्वनिलेखागार में समाहित हैं। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के लगभग कोई भी कलाकार का ध्वनिमुद्रण इस सप्तक ध्वनिलेखागार से अलिप्त नही है। सभी कलाकारो और उनकी परंपराओ को सप्तक ध्वनिलेखागार में सम्मान के साथ स्थान मिला है।

समस्त भारत के विश्वप्रसिध्ध कलाकारो को गुजरात में एक स्थान पर लाकर उनकी कलाओको प्रोत्साहित कर उन्ही की परंपराओ को आज के अत्याधुनिक टेक्नोलोजी से संगृहीत किया जाता है। जिसका लाभ लगभग संगीत के सभी धाराओ के साधको को मिलता रहता है। यह परंपरा पंडित नंदन महेता जी ने सन 1982 से उनके अंगत कलाकार मित्रों के साथ अपने ही घर "शिव सदन" से शुरू की थी जो आज विश्वप्रसिध्ध "सप्तक संगीत समारोह" से लोगो के हृदय में स्थान ले चूका है। जो प्रति वर्ष दिनांक 1 से 13, जनवरी में अहमदाबाद, गुजरात मे आयोजीत होता है। उनके सभी ध्वनिमुद्रण इस सप्तक ध्वनिलेखागार मे समाहित है।

**सप्तक ध्वनिलेखागार का उद्देश्य :** गुरुओ के माध्यम से निर्वाहित होती संगीत जैसी अमूर्त विधाओ मे पथप्रदर्शक अति आवश्यक है। जो गुरु और समग्र गुरूपरंपरा सदैव मार्गदर्शक के रूप मे साथ रहे तो, विद्यार्थी का ज्ञान परिपक्वता के शिखर सर कर सकता है। इतना ही नही, नए आयामों के निर्माण के लिए कारणभूत बनता है।

सप्तक ध्वनिलेखागार का उद्देश्य संगीत विषयक विचार-विमर्श और परंपराओ के विषय में विद्वानो के द्वारा की गई चर्चा, सांगीतिक रचनाए, साधको के अनुभव जिसको भविष्य में कोई नकार न सके, जिसने अपना पूर्ण जीवन संगीत की सेवा में समर्पित किया हो ऐसे ज्ञानीओने अपनी तालीम के दौरान अर्जित किया हुआ ज्ञान, अनुभव जो विद्यार्थीओ और गुनिजनों को उपयोगी हो सके वेसे साधको एवं आगामी पीढ़ी तक पहुंचाने का है।

उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के कोई भी घराना के नामी-अनामी कलाकार विषयक माहिती और प्रवर्तमान परिस्थिति का चितार मिल सके। घराना के उद्भव से लेकर आज दिन तक कालक्रम से हुए परिवर्तनों का अभ्यास भी कर सकते है। ग्वालियर, आग्रा अत्रोली, किराना, पटियाला, विष्णुपुर, बनारस, भिंडीबाजार, मेवाती, इंदोर, शाम चौरासी जैसे गायिकी के घराना, दिल्ही, पंजाब, अजराड़ा, फरुखाबाद और बनारस जैसे तबला के घराना का विस्तृत अभ्यास कर सकते है। ध्रुवपद, धमार, तराना, ठुमरी, कजरी, चैती, बारहमासा वगैरे शैलीओका तलस्पर्शी अभ्यास किया जा सकता है। अतः विद्यार्थियो को प्रारम्भिक से लेकर उच्चकक्षा की माहिती मिल सके।

सप्तक ध्वनिलेखागार का उद्देश्य डिजिटल मीडिया (सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क) में दीर्घकालिक संरक्षण, भंडारण, संकलन और पुनर्प्राप्ति के लिए विभिन्न मीडिया (स्पूल, कैसेट, 78 आर.पी.एम. एलपी रिकॉर्ड आदि) में रिकॉर्ड किए गए इस संगीत को डिजिटाइज़ करना है। 2000 चौरस फिट में फैला हुआ है। सप्तक ध्वनिलेखागार के पास एक उच्च सक्षम टीम है जिसमें एक संगीतज्ञ और संगीत और डिजिटल प्रौद्योगिकी में पारंगत विशेषज्ञ शामिल हैं। सप्तक ध्वनिलेखागार दिग्गजों और दिग्गजों द्वारा कार्यशालाओं का आयोजन करता है, जिसमें छात्र, शिक्षक और संगीत प्रेमी शामिल होते हैं, जिनकी समझ इन इंटरैक्टिव सत्रों के माध्यम से गहरी होती है।

यह बैठक संगीत कार्यक्रम भी आयोजित करता है। इनमें संगीतकार राग और बंदिशें पेश करते हैं, जो सार्वजनिक समारोहों में कम ही सुनने को मिलते हैं। सुनने के सत्र भी आयोजित किए जाते हैं जहां सूक्ष्म बारीकियों और सौंदर्यशास्त्र की सराहना करने के लिए विशेषज्ञों द्वारा एक टिप्पणी के साथ-साथ चुनिंदा टुकड़े बजाए जाते हैं।

संगीत रचनात्मक विधा है। यदि उसमे नूतनता को स्थान न हो तो यह विधा मृत अनुभूत होगी। अनेक अनेक वाज़ेकार–कलाकारो द्वारा अनुभूति के अर्क समान बंदिशे स्वरबद्ध की गई है उनसे भी साधक और भावी पीढ़ी अवगत हो वह भी ध्वनिलेखागार का उद्देश्य है।

सप्तक ध्वनिलेखागार में कई कार्य-स्टेशन, श्रवण पोस्ट, एक कॉन्सर्ट हॉल, भंडारण कक्ष और एक मल्टी-मीडिया संगीत पुस्तकालय है। यह ९५० से अधिक कलाकारों के ६००० घंटे के संगीत को डिजिटाइज़ करने में सक्षम है। एक खजाना चेस्ट बनाने के अपने प्रयासों में, सप्तक ध्वनिलेखागार निजी संगीत संग्रहकर्ताओं को इस संगीत विरासत को संरक्षित करने के लिए अपने संग्रह को दान करने के लिए आमंत्रित करता है।

**सप्तक ध्वनिलेखागार मे समाहित दूर्लभ ध्वनिमुद्रण-** किसी भी कलाकार की अपनी नवनिर्मित कलाकृति अपने बालक की तरह होती है। जैसे एक पिता को अपने बालक को समाज में स्वीकृति और सम्मान मिले तो पिता का सीना चौड़ा हो जाता है, वैसे ही कलाकारो को उनकी कृति/रचनाए उतनी ही प्यारी होती है। सांगीतिक कला जगत में उनकी कलाकृतिओ को मान-सम्मान प्राप्त हो तो इस पल पल नाशप्रायः जगत मे कलाकार अमरता अनुभूत करता है। ऐसे अनेक मूर्धन्य कलाकारोने अपनी जीवन की तमाम सांगीतिक संपत्ति अपने अनुयायीओ को मुक्त मन से सोंप दी हो ऐसा ध्वनिलेखागार में अनुभूत होता है। जिसकी जितनी पात्रता उतना वह कोई भी साधक अपनी क्षमता के अनुसार अगाढ़ ज्ञानसागर में से ले सके। कुछ ध्वनिमुद्रण सिर्फ अध्ययन-अध्यापन प्रणाली को ध्यान में लेकर बनाए गए है। गुजरात इतना नसीबदार है की भारत के अत्यंत समृद्ध सांगीतिक अतुल्य परंपराओ को सप्तक ध्वनिलेखागार के रूप मे सँजोये रखा है।

## 4:6:2:2 संवाद फाउंडेशन, मुंबई, महाराष्ट्र

पंडित सत्यशील देशपांडे जी रचनात्मक और व्यापक रूप से पसंद किए जाने वाले हिंदुस्तानी संगीतकार, आकर्षक कलाकार, शानदार संगीतकार, सम्मानित शोधकर्ता और प्रशंसित लेखक हैं।

पंडित सत्यशील जी ने फोर्ड फाउंडेशन, यूएसए के एक कार्यक्रम अधिकारी के समक्ष विभिन्न घरानों द्वारा प्रचलित राग का एक मनोरम प्रदर्शन प्रस्तुत किया। उन्होंने एक ही राग के प्रत्येक दृष्टिकोण को उस घराने के विशेष सौंदर्य, लय और संरचना के उपचार, प्रत्येक घराने के लिए अद्वितीय उच्चारण, दृष्टिकोण और यहां तक कि आवाज-संस्कृति (Voice Culture) की हर विशिष्टता और विलक्षणता के साथ पूर्ण रूप से प्रदर्शित किया। इस प्रदर्शन से एक बहुत बड़ा उपक्रम सामने आया - उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुर्लभ और लुप्त होती परंपराओं को संरक्षित करने, दस्तावेजीकरण करने और तुलनात्मक रूप से विश्लेषण करने का।

इस कार्य को करने के लिए फोर्ड फाउंडेशन ने 1987 में अपने 'शिक्षा एवं संस्कृति' कार्यक्रम के अंतर्गत पंडित सत्यशील जी को अनुदान प्रदान किया।

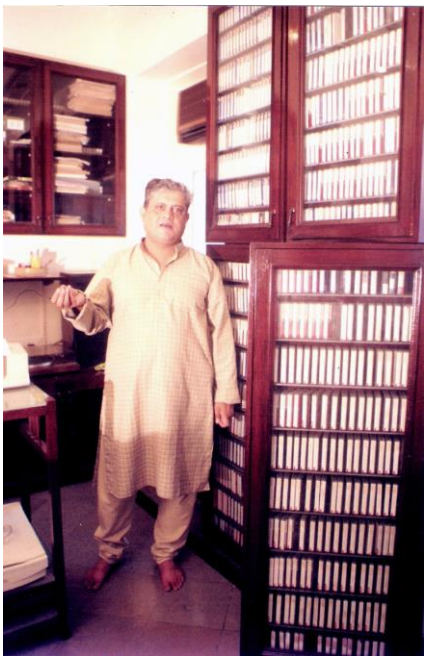

इस अनुदान की सहायता से पंडित सत्यशील जी ने मुम्बई स्थित अपने आवास पर "संवाद फाउंडेशन" की स्थापना की। यहां उन्होंने यकीनन देश में हिंदुस्तानी संगीत का सबसे बड़ा और सबसे मूल्यवान संग्रह बनाया। उन्होंने व्यावहारिक रूप से उस समय के हर जीवित दिग्गज को महीनों तक फाउंडेशन में रहने के लिए आमंत्रित किया और बड़े पैमाने पर उनके संगीत, उनके प्रदर्शन, उनकी चर्चाओं, उनके शिक्षण सत्रों को रिकॉर्ड किया। संवाद की विशाल सूची बनाने वाले कुछ नाम हैं उस्ताद सलामत अली, उस्ताद नयाज़ अहमद, उस्ताद असलम खान, पंडित जितेंद्र अभिषेकी, पंडित के.जी.गिंडे, पंडित सी.पी. रेले, शोभा गुर्टू, पंडित जगदीश प्रसाद और पंडित रामाश्रय झा सहित कई अन्य शामिल थे। उन्होंने गायन संगीत की बड़ी संख्या में दुर्लभ विरासत रिकॉर्डिंग भी एकत्र की हैं और जारी रख रहे हैं। संवाद फाउंडेशन में उन्होंने जो पद्धति अपनाई वह शास्त्रीय रूपों की वैकल्पिक व्याख्याओं के बीच निष्पक्ष तुलनात्मक विश्लेषण में से एक है। यह काम, समकालीन और भविष्य के छात्रों के लिए निर्विवाद रूप से बहुत मूल्यवान होने के अलावा, पंडित सत्यशील जी की संगीत की अपनी दृष्टि को भी गहराई से समृद्ध करता है। इस प्रकार उनका संगीत विभिन्न संगीत शैलियों की एक जटिल बनावट है, जिन्हें सावधानीपूर्वक चुना गया है और जैसे एक ही कपड़े में बुना गया है। वह इस बात को लेकर विशेष रूप से सावधान रहे हैं कि किससे क्या ग्रहण करना है, और जो कुछ भी उन्होंने प्राप्त किया है उसे अपनी कलात्मक संवेदनशीलता के साथ कैसे समायोजित करना है।

संवाद फाउंडेशन पंडित सत्यशील जी द्वारा स्थापित एक सरकारी मान्यता प्राप्त ट्रस्ट है, जिसके पास हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन संगीत की 10,000 घंटे से अधिक रिकॉर्डिंग और 3000 से अधिक सटीक, अप्रकाशित रचनाओं का संग्रह है।

जैसा कि नाम से पता चलता है, संवाद 'घराना' प्रणाली के विभिन्न पारंपरिक मूल्यों के प्रतिपादकों के बीच संवाद स्थापित करने का प्रतिनिधित्व करता है और इसका पर्याय है, वे मूल्य जिन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की परंपराओं को कायम रखा है। इस उद्देश्य के लिए, संवाद फाउंडेशन लगभग 200 साल पुरानी

परंपरा का प्रतिनिधित्व करने वाले विविध कलात्मक स्वभाव के वरिष्ठ गायकों और संगीतज्ञों की रिकॉर्डिंग में लगा हुआ है।

संवाद फाउंडेशन ने गैर-पेशेवर संगीतकारों या व्यावसायिक धारा से बाहर के संगीतकारों को भी रिकॉर्ड किया है और जारी रखा है, जो अपने निर्विवाद समर्पण के परिणामस्वरूप, घराने की अखंडता को प्रकट करते हैं और इसके लोकाचार के सच्चे प्रतिनिधि हैं। प्रवर्तमान समय में पंडित सत्यशील देशपांडे जी के इस

कार्य में उनके सुपुत्र श्री श्रीजन देशपांडे जी भी सहयोग कर रहे हैं।[1] सी.पी.रेले, पंडित रामाश्रय झा, पंडित बबन हलदनकर, पंडित राजा काळे–संवाद फाउंडेश साथ मे संवाद फाउंडेशन एक खुले घर के तंत्रिका केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो समय की कमी के बिना छात्रों, युवा और अनुभवी संगीतकारों और शिक्षकों की जरूरतों को पूरा करता है। संवाद का सौहार्दपूर्ण माहौल और आसान पहुंच संगीतकारों के बीच अचानक बैठने, रिहर्सल और प्रशिक्षण, गुरु-शिष्य वार्तालाप और अपने कार्यक्रमों के माध्यम से घरानों की शिक्षण विधियों से परिचित होने के लिए अनुकूल है। इसके अलावा, संवाद फाउंडेशन सच्चे संगीत भाईचारे की भावना से सभी कलाकारों को अपने परिसर में रहने के लिए आमंत्रित करता है, इस प्रकार दस्तावेज़ीकरण के तहत कलाकारों के प्रदर्शनों तक व्यापक पहुंच प्राप्त होती है, प्रेरणा मिलती है और विचारों और प्रतिक्रियाओं का एक आसान प्रवाह प्राप्त होता है।[2]

सन 1975 में अपनी स्थापना और 1983 में पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में पंजीकरण के बीच, संवाद फाउंडेशनने युवा प्रतिपादकों और गैर-पेशेवर प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यशालाएं, सेमिनार और वार्षिक संगीत सम्मेलन आयोजित किए। 1974 में कई संगीतकारों और संगीतज्ञों का दस्तावेजीकरण करने की एक परियोजना शुरू की गई थी और बाद में इसे फोर्ड फाउंडेशन, यूएसए, महाराष्ट्र सरकार और भारत की केंद्र सरकार के अनुदान द्वारा समर्थित किया गया था। संवाद फाउंडेशन वर्तमान में बेहतर संरक्षण के लिए संपूर्ण संग्रह को डिजिटल बनाने की प्रक्रिया में है।

---

**1.** https://www.samvaadfoundation.org/

**2.** https://www.satyasheel.com/samvaad-foundation/

इस प्रकार संवाद फाउंडेशन का संग्रह समकालीन संगीतकार या हिंदुस्तानी संगीत के छात्र के लिए एक अमूल्य संसाधन है। यह छात्रों को अपने पूर्ववर्तियों के संगीत को सुनने और तुलनात्मक रूप से विश्लेषण करने का अवसर देता है, इस प्रकार उनके प्रदर्शनों की सूची में काफी वृद्धि होती है, उनकी सौंदर्य संबंधी संवेदनाएं विकसित होती हैं और उन्हें इस संगीत की असंख्य संभावनाओं से अवगत कराया जाता है।

**डॉ.सी.पी.रेले जी का रेकोर्डिंग करते हुए**

मुंबई के केंद्रीय और आसानी से सुलभ क्षेत्र में स्थित, संवाद में एक वातानुकूलित, ध्वनिरोधी श्रवण कक्ष, रिकॉर्डिंग स्टूडियो और उपकरण कक्ष है, जिसमें नवीनतम ऑडियो उपकरण हैं। व्यक्तियों और समूहों के लिए संवाद फाउंडेशन के परिसर के भीतर ध्वनिलेखागार और श्रवण सत्रों तक पूर्व मंजूरी से पहुंचा जा सक्ता है।

## 4:6:2:3 जादवपुर यूनिवर्सिटी, कलकत्ता

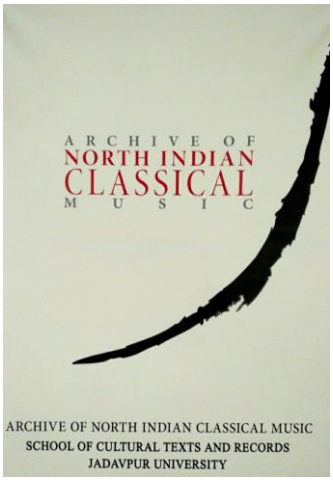


जादवपुर यूनिवर्सिटी, कलकत्ता के अंतर्गत स्कूल ऑफ़ कल्चरल टेक्स्ट एण्ड रेकोर्ड्स विभाग है। जिसके तहत Archive of North Indian Classical Music (ANICM) नाम से एक युनिट तैयार किया गया हैं। जिसके माध्यम से भारतीय शास्त्रीय संगीत को संरक्षित किया जा रहा हैं। स्कूल में विभिन्न प्रकार के अभिलेखागार हैं, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का पुरालेख स्कूल के ऐसे अद्वितीय अभिलेखागारों में से एक है। यह सब आरंभिक फोनोग्राफ से लेकर डिजीटल संस्करणों में रिकॉर्ड किए गए उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक व्यापक डेटाबेस बनाने के उद्देश्य से शुरू हुआ।

Archive of North Indian Classical Music (ANICM) की स्थापना 2004 की शुरुआत में प्रोफेसर अमलान दास गुप्ता द्वारा स्कूल ऑफ कल्चरल टेक्स्ट्स एंड रिकॉर्ड्स, जादवपुर विश्वविद्यालय में की गई थी। इस कार्य को ब्रिटिश लाइब्रेरी के लुप्तप्राय अभिलेखागार कार्यक्रम से लगातार दो प्रमुख परियोजना अनुदानों द्वारा वित्त पोषित किया गया है। । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा स्थापित दुर्लभ ग्रंथों के दस्तावेज़ीकरण कार्यक्रम के तहत वित्त पोषण के साथ पिछले 15वर्षों में, संग्रह में काफी वृद्धि हुई है, और वर्तमान में इसमें डिजिटल रूप में लगभग 8000 से अधिक घंटों का ध्वनिमुद्रण डिजिटाइज किया गया हैं।

संग्रह में व्यावसायिक रूप से रिकॉर्ड किए गए संगीत के साथ-साथ 100 साल से अधिक पुराने संग्रह और निजी रिकॉर्डिंग भी हैं। इस प्रकार यह देश में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सबसे बड़े ध्वनिलेखागार में से एक है, विशेष रूप से विभिन्न प्रकार के माध्यमो वैक्स-सिलेंडर, 78 आरपीएम रिकॉर्ड से लेकर रील-टू-रील मैगनेटिक स्पूल टेप आदि में उपलब्ध पारंपरिक संगीत की शैलियों में समृद्ध है।

प्रो. अमलान दास गुप्ता 'भारत में प्रारंभिक रिकॉर्डेड संगीत-
और इसका डिजिटलीकरण' विषय पर एक व्यावहारिक सेमिनार का संचालन करते हुए।

"The idea of having a music archive is something we have thought about for a long time - ever since we are listening to music. For a lot of us, it was a kind of community activity. Many of my friends were learning music, others were interested in music. There were lots and lots of talk about music, and the more we heard about great singers of the past we thought that whether it will ever be possible to go and listen to these songs. At that point of time, it did not seem possible. It was much later in fact, that we came to know about these great 78 RPM record collectors. Unfortunately, we had no access to them as music lovers-young, extremely young music lovers. Very frankly, we would not get much of their time, or they would not allow us to listen to music, unless we have had some kind of connection. It was somewhat later, I think only in the early 80's that there were these music collectors like Anjan Sen, Biman Sinha, later Rantideb Maitra who gave us access to their collection and we heard a lot. Somewhat around this time I got acquainted with Sarbari Da. We also listened to music there. It was then that we started understanding that there is a great den of music in private hands. So, the idea of having an archive where people could come in and listen to music as people read books in the library [...] today you can listen to most of these on YouTube. Only thing I can say which distinguishes the archive from a collection like YouTube [...] much less organized. The archive is organized on a different principle. Even the largest collection has not been organized in the same principle. The principle of the archive is that the archive

pays attention both to content and the metadata; and that is what makes it valuable, makes it an easier recourse for research."- *From the pen of the founder of the archive, Prof. Amlan Das Gupta, Ex-Director, School of Cultural Texts and Records*[1]

जादवपुर यूनिवर्सिटी क़े यह ध्वनिलेखागार को अनेक ध्वनिलेखपाल एवम कलाकारों ने अपना संग्रह देकर समृद्ध किया हैं।

**अनिंद्य बेनर्जी जी का संग्रह :** इस संग्रह में कैसेट टेप से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की रिकॉर्डिंग की डिजीटल प्रतियां और प्रमुख सरोद वादक, संगीत संग्रहकर्ता और उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के पारखी अनिंद्य बनर्जी द्वारा संग्रहित शैलैक डिस्क शामिल हैं। इस संग्रह की नौ श्रृंखलाओं में सितार, सरोद, वीणा, सारेंगी, संतूर, हारमोनियम, वायलिन, ईसराज, तबला और पखावज पर बजाया जाने वाला वाद्य संगीत और आलाप, ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी, दादरा, ग़ज़ल और अन्य सहित गायन संगीत शामिल है।

**अरूप सेनगुप्ता जी का संग्रह :** इस संग्रह में ऑडियो कॉम्पैक्ट डिस्क से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की रिकॉर्डिंग की डिजीटल प्रतियां शामिल हैं, जो एक संगीत संग्रहकर्ता और मूर्तिकार अरूप सेनगुप्ता द्वारा एकत्र की गई हैं। पहली श्रृंखला में ख्याल, ध्रुपद, ठुमरी और दादरा की रिकॉर्डिंग शामिल हैं, जिन्हें कई कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया है जैसे: अनंत मनोहर जोशी; अज़मत हुसैन खान; बड़ी मोती बाई; भीमसेन जोशी; गजानन राव जोशी; मल्लिकार्जुन मंसूर; रसूलन बाई; रहमत खान, सरफज़ हुसैन खान, सिद्धेश्वरी देवी, उमाशंकर मिश्रा और कुछ अज्ञात कलाकारों सहित कई अन्य।

**आशीष भद्र जी का संग्रह :** इस संग्रह में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की रिकॉर्डिंग की डिजीटल प्रतियां शामिल हैं, जो उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के संग्रहकर्ता और पारखी आशीष भद्र द्वारा एकत्र की गई हैं। इस संग्रह की सात श्रृंखलाओं में वाद्य संगीत शामिल है, जो सितार, सरोद, वीणा, सारंगी, संतूर, हारमोनियम, वायलिन, एसराज, तबला और पखावज पर बजाया जाता है; और गायन संगीत, जिसमें अलाप, ध्रुपद, धम्मर, ख्याल, ठुमरी, दादरा, ग़ज़ल और अन्य शामिल हैं।

**पुलिन पाल जी का संग्रह :** इस संग्रह में लखनऊ-शाहजहांपुर घराने के प्रसिद्ध सितार वादक पुलिन पाल की रिकॉर्डिंग की डिजिटल प्रतियां शामिल हैं। कुछ रिकॉर्डिंग ऑल इंडिया रेडियो के प्रदर्शन की हैं, और एक चंदेश्री नामक सांस्कृतिक संगठन द्वारा आयोजित एक संगीत कार्यक्रम के दौरान बनाई गई थी। रिकॉर्डिंग कैसेट पर रखी गई हैं और पुलिन पाल द्वारा एकत्र की गई थीं; वे अब उसकी संपत्ति के स्वामित्व में हैं।

---

**1**. https://eap.bl.uk/collection/EAP127-1

**बिमान सिन्हा जी का संग्रह [1902-1910] :** इस संग्रह में इमदाद खान, इमरत खान, इनायत खान, शाहिद परवेज खान और विलायत खान की रिकॉर्डिंग की डिजीटल प्रतियां शामिल हैं। संगीत संग्रह पूरी तरह से वाद्य संगीत का है, मुख्य रूप से सितार (अक्सर तबला संगत के साथ) और इटावा घराने पर प्रस्तुत किया है। रिकॉर्डिंग कैसेट पर रखी गई हैं और उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक निजी संग्रहकर्ता बिमान सिन्हा द्वारा एकत्र की गई थीं।

जिन ध्वनिलेखपाल / संस्था / कलाकार द्वारा संग्रह दिया गया हैं, उनके हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के संग्रह से अति महत्वपूर्ण ध्वनिमुद्रण प्राप्त हुए हैं। जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं।[1]

अनिंद्य बनर्जी, अमलान दास गुप्ता, अर्चन डे, अरूप सेनगुप्ता, आशीष भद्र, आशीष रॉय, बेगम शिप्रा खान, बिमान सिन्हा, दीपांकर सेन, इरफ़ान मोहम्मद खान, जॉर्जेस लिंडेनमेयर, जोनाथन रे बार्लो, काशीनाथ मुखर्जी, कुमार प्रसाद मुखर्जी, कुमार रॉय, मिहिर पुरकायस्थ, मोनिन्द्रलाल सेनगुप्ता, नीला भागवत, पुलिन पाल, पूर्णिमा सेन, रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर कलेक्शन ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, राजीव गोयनका, संजय बनर्जी, सरबरी रॉय चौधरी, सौमेन सेन, स्टीव लैंड्सबर्ग, सुब्रत सिन्हा, उल्हास कशाळकर । जिन संग्रह के उपर डिजीटाइजेशन का कार्य हो रहा हैं, वह कुछ इस प्रकार से हैं।

**जेम्स स्टीवेन्सन संग्रह**-दो चरणों में संबंधित मेटाडेटा के निर्माण के साथ-साथ कुल 792 घंटों के हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन और वाद्य संगीत को डिजिटल किया गया है। 19 फरवरी 2013 से 31 दिसंबर 2014 के बीच लगभग 237 घंटों और 06जनवरी 2015 से 08मार्च 2019 के बीच दूसरे चरण में 555 घंटे को डिजिटल किया गया है। JS Collection मूल्यवान रिकॉर्डिंग का एक भंडार है, जो मुख्य रूप से ऑडियो कैसेट में उपलब्ध है, जिसमें बड़े गुलाम अली खान, विलायत हुसैन खान, प्यारा साहब, सी. आर. व्यास, सलामत और नजाकत अली खान, रामकृष्णबुआ वेज़, मालिनी राजुरकर जैसे विभिन्न परंपराओं के कलाकार शामिल हैं। गायन के साथ-साथ वाद्य संगीत में बुंदू खान (सारंगी), लालमणि मिश्रा (वीणा), मियां कादिर बख्श (तबला), डी.के. दातार (वायलिन), गोपाल मिश्रा (सारंगी), हाफिज अली खान (सरोद) शामिल हैं। संग्रह में बड़े गुलाम अली खान और रसूलन बाई के दुर्लभ साक्षात्कारों के साथ-साथ बरकत अली खान, शरत चंद्र अरोलकर आदि के लाइव प्रदर्शन की रिकॉर्डिंग भी शामिल है।

**प्रोदोष भट्टाचार्य संग्रह -** लोकप्रिय कलाकार हेमंत मुखोपाध्याय की लगभग 66 घंटों की प्रमुख दुर्लभ रिकॉर्डिंग का डिजिटलीकरण किया गया है, जो मुख्य रूप से 78 आरपीएम शेलैक डिक्स और 45 आरपीएम

**1**. https://sites.google.com/view/anicm-ju

विनाइल डिस्क और कॉम्पैक्ट कैसेट में उपलब्ध है। संग्रह में कानन देवी, पंकज मलिक, मुबारक बेगम आदि कलाकारों की ध्वनिमुद्रण भी हैं।[1]

## 4:7 ध्वनिलेखपाल (Archivist)

अभिलेखागार जीवन और जीने के लिए हैं। वे अतीत में खो जाने के बारे में नहीं हैं, बल्कि वर्तमान को समजने के बारे में हैं। एक अभिलेखपाल / पुरालेखपाल / ध्वनिलेखपाल या रेकॉर्ड कीपर बनना एक आकर्षक भूमिका हैं। एसे बहुत से काम नहीं हैं जहा यह कहा जा सके कि आप आज जो करते हैं, वह सैंकड़ों साल मायने रखेगा। एक अभिलेखपाल / पुरालेखपाल /ध्वनिलेखपाल या रेकॉर्ड कीपर को इतिहास के लिए एक जुनून, विस्तार के लिए एक आँख और सेवा के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती हैं। समाज की स्मृति का संरक्षक बनके समाज को प्रतिफल देना हैं।

समाज की स्मृति का संरक्षक स्पष्ट रूप से इन सटीक और कभी कभी नाजुक गुणों को बनाए रखने के लिए ध्वनिलेखागार को अच्छी देखभाल की आवश्यकता होती हैं, लेकिन यह कौन सुनिश्चित करेगा कि अभिलेखो की देखाभाल इस तरह की जाये कि इन गुणों, मुद्रणों और सूचनाओ को वैसे का वैसा बनाए रखा जाये ? – यह ध्वनिलेखपाल या रेकॉर्ड कीपर की भूमिका हैं। कोई व्यक्ति जिनके पास लंबी अवधि के लिए अभिलेखागार और अभिलेखों को एकत्रित करने, प्रबंधित करने और उन तक पहुँच प्रदान करने का विशिष्ट कौशल्या हैं, वह पुरालेखापाल/ध्वनिलेखपाल हैं।

जो मूल स्त्रोत के अस्तित्व को सुनिश्चित करे, अभिलेखागार में संदर्भों / सामाग्री को संरक्षित करना सुनिश्चित करे और मूल क्रम में बनाए रखे। यानि रेकॉर्ड को उस व्यवस्था में रखे जो उन्हे बनानेवाले रचनाकार / रेकॉर्डर द्वारा बनाया गया था ताकि रेकॉर्ड के बीच संबंध बनाए रखा जा सके और इस तरह इस बात का सबूत मिले कि निर्माता ने अपनी गतिविधियों को कैसे अंजाम दिया होगा।

### 4:7:1 एक पुरालेखपाल/ध्वनिलेखपाल का उद्देश्य-

- योग्यता या उपाधि चाहे कोई भी हो, अभिलीखागार या ध्वनिलेखपाल के लिए कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति कई लक्ष्यांकों को प्राप्त करने की कोशिश करेगा।
- अच्छी तरह से सक्रिय चयन, यथार्थ माहिती और संग्रह क्के माध्यम से एक सुसंगत संग्रह बनाए।

**1.** http://kolkatamusicmapping.com/making-school-cultural-texts-records-jadavpur-university/

- प्रभावी संग्रह प्रबंधन जो संग्रह के दीर्घकालीन भौतिक अस्तित्व को सुनिश्चित करता हैं।
- संग्रह की सामग्री के बारे में विश्वसनीयता, विस्तृत जानकारी का निर्माण और संग्रह के दीर्घकालीन अस्तित्व की संभावनाओ को सुनिश्चित करने के लिए स्थायी देखभाल।
- एक सुसंगत अभिगम कार्यक्रम जो यह सुनिश्चित करता हैं कि कोई भी जो संग्रह की सामग्री का उपयोग करना चाहता हैं, आसानी से संग्रह के बारे में पता लगा सकता हैं और उसकी सामग्री तक अपनी आवश्यकताओ के लिए सुविधाजनक तरीके से पहुँच सकता हैं।
- जो अभिलेखागार – अभिलेखागारों के बीच तालमेल का फायदा उठाने और संग्रहों के उपयोग और संरक्षण के अवसरों को अधिकत्तम करने के लिए दूसरों का सहयोग ले सके।
- यह सभी लक्ष्य को पाने के लिए जो अभिलेखागार में जिम्मेदार हैं वह अन्य पेशेवर जैसे संरक्षक, इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी के विशेषज्ञों, कलाकारों, शिक्षको के साथ-साथ उपयोगकर्ताओ के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संग्रह और सेवाए उनकी आवश्यकताओ के लिए प्रासंगिक हैं।

## 4:7:2 भारत के ध्वनिलेखपाल/व्यक्तिगत ध्वनिमुद्रण संग्रहकार

उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत हो या कर्णाटीक शास्त्रीय संगीत हो या फिल्म संगीत हो जिस व्यक्ति को जिस संगीत में रस रूचि हो उस संगीत का ध्वनिमुद्रण (रेकोर्डिंग) संग्रह करने की वृत्ति रहती हैं। जबकि कुछ व्यक्ति / ध्वनिलेखपाल किसी भी प्रकार के ध्वनिमुद्रण को केवल संस्कृति के जतन के लिए संगृहीत करते हैं, जो व्यक्तिमत्ता पर निर्धारीत रहती हैं।

भारत के कुछ व्यक्ति जिन्होने भारतीय संस्कृति के जतन लिए यह भागीरथ कार्य किए हैं और जिनकी वजह से पुराने दूर्लभ ध्वनिमुद्रण आज भी संरक्षित हैं। शोधकर्ता द्वारा एसे ध्वनिलेखपाल के विषय में जो माहिती प्राप्त हुई हैं वह यहा समावेश करने का प्रयत्न किया हैं।

- **श्री अभिमन्यु देब-** श्री अभिमन्यु देब कलकत्ता के हैं। जिन्होने भारतीय शास्त्रीय संगीत और पुराने बंगाली संगीत का संग्रह किया हैं। वो रेकॉर्ड संग्रहकार हैं।
- **अमर नाथ शर्मा-** श्री अमर नाथ शर्मा भारत सरकार में उच्च पद से वय निवृत्त हुए सरकारी अधिकारी और वकील भी हैं। वो इतिहासकार और पुराने ध्वनिमुद्रण संबंधित अनेक पुस्तक और प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। श्री शर्मा जी ने शेलैक फॉर्मेट पर 2000 से अधिक प्रारंभिक ध्वनिक रिकॉर्डिंग एकत्र की हैं

जो अध्ययन के लिए उपलब्ध एकमात्र ऑडियो स्रोत हैं। श्री शर्मा जी ने दो पुस्तके प्रकाशित की हैं। "बाजानामा" और "The wonder that was the cylinder".

- **श्री आशीष भद्र-** श्री आशीष भद्र कोलकाता में रहने वाले, एक रेस्टोरंट श्रृंखला के मालिक हैं और पुराने संगीत, जैज़, पश्चिमी शास्त्रीय, हिंदी के ध्वनिमुद्रणों के संग्रहकर्ता हैं। उन्होने बचपन में एसे ध्वनिमुद्रणों को शुरू किया था, जो स्कूल के दिनों से ही जुनून में तबदील हो गया। वे विनाइल डिस्क पर पुराने पुराने संगीत को लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **श्री अतुल कुंते-** श्री अतुल कुंते मरीन के इजनेर हैं, जो पूणे में रहते हैं। उनका मुख्य रस ७८ – आर.पी.एम. शैलेक डिस्क में ध्वनिमुद्रित हिन्दी और मराठी फिल्म संगीत पर हैं। वह ओरीजीनल मशीन पर ही सुनने का आग्रह रखते हैं और एसे ध्वनिमुद्रण युक्त डिस्क को लकड़ी का बनाये हुए बक्से में संग्रह करने के आग्रही हैं। उन्होने एसे साधन और एम्प्लीफायर की भी रचना की हैं।
- **श्री कुशल गोपालका-** श्री कुशल गोपालका मुंबई के संगीत विशेषज्ञ हैं। उनके पास शैलेक, विनाइल डिस्क, ऑडियो–वीडियो कैसेट्स में फिल्म और उप शास्त्रीय संगीत का संग्रह है। वे वार्षिक सेमिनार का आयोजन भी करते हैं।
- **श्री मोहन सोहोनी-** श्री मोहन सोहोनी इलेक्ट्रीसीटी बोर्ड, सोलापुर के वय निवृत कर्मचारी हैं। उनके पास लगभग 6000 शैलेक, विनाइल डिस्क, कैसेट टेप्स और सी.डी का संग्रह हैं। उन्होने प्रादेशिक रेडियो चेनल से रेडियो शॉ प्रस्तुत किए हैं, जो ऑल इंडिया रेडियो से प्रसारीत किए गए हैं। उनके संग्रह में पुराने हिन्दी फिल्म के गाने और मराठी गाने भी शामिल हैं। उन्होंने अपने शहर के पुस्तकालय के परिसर में ऑडियो लाइब्रेरी स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- **श्री महम्मद इलियास,कलकत्ता-** श्री महम्मद इलियास 50 से अधिक सालों से बो बाजार में रेकॉर्ड डीलर के रूप में कार्यरत हैं। उनके पास पुराने 78–आर.पी.एम. शैलेक डिस्क का बड़ा संग्रह हैं। वे ग्रामोफोन मशीन के क्षेत्र में भी कार्यरत हैं।
- **श्री नारायण मूलानी-** श्री नारायण मूलानी मुंबई, महाराष्ट्र स्थित बीजनेसमेन हैं। उनके पास सन 1935-55 के कार्यकाल की हिन्दी फिल्म संगीत की 3000 से अधिक शैलेक डिस्क हैं। उनके पास उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत - गायन और वाद्य संगीत का एक बड़ा संग्रह हैं। उन्होंने ध्वनिमुद्रण प्रदान करके ग्रामोफोन कंपनी की पुरानी संगीत की परियोजनाओं को फिर से जारी करने और फिल्म उद्योग में भी

योगदान दिया है। वे सन 1990 में मुंबई में स्थापित "सोसायटी ऑफ रेकॉर्ड कलकेटर्स" के प्रेसिडेंट भी रहे हैं।

- **श्री नरेश फर्नांडीस-** श्री नरेश फर्नांडीस मुंबई के पत्रकार हैं, जिनको भारत के जाज़ संगीत और संगीतकारो के इतिहास में विशेष रूचि हैं। उन्होने इस विषय पर 500 शैलेक और विनाइल डिस्क, कैसेट्स, सी.डी. के साथ लेख और फोटोग्राफ का बृहद संग्रह हैं। उन्होने सन 2012 में, मुंबई और कलकत्ता के जाज़ संगीतकारो की कहानियो पर एक पुस्तक "Taj Mahal Fox Trot-The Story of Bombay's Jazz Age" लिखी हैं।
- **श्री नटराजन राजू-** श्री नटराजन राजू चेन्नई के पुराने संग्रहकार हैं। वह किसी भी प्रारूप में प्राप्य पुराने तमिल फिल्म संगीत में रस-रूचि रखते हैं। उनके पास बृहद मात्रा मैं ग्रामोफोन रेकॉर्ड्स, कैसेट्स और सी.डी. का संग्रह हैं। वह पुस्तक के प्रकाशन और संकलन में प्रकाशको को मदद करते हैं।
- **श्री निशांत मित्तल-** श्री निशांत मित्तल नई दिल्ही के निवासी हैं, जो पुरानी विनाइल डिस्क में ज़्यादातर रस-रूचि रखते हैं। उनके पास लगभग 500 रेकॉर्ड्स का संग्रह हैं। उनका मुख्य रस भारतीय रेकॉर्ड्स को ढूँढना और उजागर करना हैं। श्री निशांत के पसंदीदा क्षेत्र जाज़, रोक, फंक और भारतीय शास्त्रीय संगीत रहा हैं। वे इस विधाओ के भारतीय रेकॉर्ड्स और प्रादेशिक भारतीय रेकॉर्ड्स ढूँढने में रस रखते हैं। वे नई दिल्ही में ऑनलाइन रेडियो स्टेशन "boxout.fm" पर "The Home And The World" नाम का रेडियो शॉ संचालित करते हैं। उनका लक्ष्य वर्तमान पीढ़ी से अद्भूत भारतीय ध्वनिलेखागार विषयक माहिती प्रचार-प्रसार करना हैं।
- **श्री रामूलु, चेन्नई-**श्री रामूलु चेन्नई के रेकॉर्ड्स डीलर है, उनके घर में बहुत पुराने ग्रामोफोन का संग्रहहैं।
- **श्री संजय पंत, पूणे, महाराष्ट्र-** श्री संजय पंत के पास लगभग 500 से ज्यादा शैलेक डिस्क का संग्रह है, वह उन संग्रह का डिजिटाइजेशन भी करते हैं, और अक्सर सोशीयल मीडिया पर अपलोड भी करते हैं।
- **श्री एस.के.चेटर्जी, कलकत्ता-** श्री एस.के.चेटर्जी कलकत्ता इलेक्ट्रीसीटी बोर्ड के निवृत्त कर्मचारी हैं। उनके पास अंदाजन 8000 से अधिक ध्वनिमुद्रण डिस्क हैं। जिसमे मुख्यतः शैलेक फॉर्मेट में एकोस्टीक से एलेक्ट्रीकल एरा की हैं। उनकी स्पेशीयालिटी पुराने बंगाली गाने हैं। वे अक्सर ग्रामोफोन डिस्क और मशीन के विषय में सचित्र वार्तालाप तथा अमूल्य संदर्भ स्त्रोत देते हैं।

- **श्री श्रीकृष्ण बेडेकर-** श्री श्रीकृष्ण बेडेकर इंदोर के पुराने संग्रहकार हैं। उनके पास ३०० से अधिक पूपराने संगीत की डिस्क, कैसेट्स हैं।
- **श्री शोभराज वासवानी-** श्री शोभराज वासवानी कल्याण, महाराष्ट्र के निवासी हैं। जिनके पास 40 और 50 के दशक के शैलेक रेकॉर्ड्स हैं। उनके पास अंदाजन 1000 रेकॉर्ड्स हैं। वह पुराने प्लेयर और रेकॉर्ड्स चेंजर के मरम्मत करने में विशेषज्ञ हैं। वह हर शुक्रवार को कबाड़ी बाजार के मुलाक़ात लेते हैं और वहाँ से खरीदे हुए डिस्क (ध्वनिमुद्रण) का निरीक्षण करते हैं, अगर वह उन्हे उनके संग्रह के लिये योग्य नहीं समझते तो जो खरीदी थी उनकी आधी कीमत पर वापस लौटा देते हैं।
- **श्री श्रीनिवासन एम-**श्री श्रीनिवासन एम. दक्षिण भारत के कोइम्बतूर के ध्वनिमुद्रण संग्रहकार हैं। जिनके पास 3000 से अधिक शैलेक और विनाइल डिस्क और कैसेट टेप, सी.डी. का संग्रह हैं। उनके संग्रह को पूर्णतः डिजिटाइज़ करके सोशीयल मीडिया पर अपलोड करना चाहते हैं। वे पुराना संगीत जो विनाइल डिस्क पर मौजूद हैं, उनको पुनः स्थापित करने मे सक्रिय हैं।
- **श्री सुनील इलियास, केरल-** श्री सुनील इलियास दक्षिण भारत की फिल्म संगीत और शास्त्रीय संगीत के ध्वनिमुद्रण संग्रहकार हैं। उनके पास विनाइल प्रारूप में 5000 से अधिक ध्वनिमुद्रण हैं। उनका मुख्य रस पाश्वगायक श्री येशुदास जी के गानो मैं हैं।
- **श्री सुरेश चन्दवनकर-** श्री सुरेश चन्दवनकर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रीसर्च (TIFR), मुंबई के निवृत्त वैज्ञानिक हैं। उन्होने सेमीकंडक्टर मटेरियल और डिवाइस के क्षेत्र में 36 साल कार्य किया हैं। वह सन 1990 में मुंबई में स्थापित "सोसाइटी ऑफ इंडियन रेकॉर्ड कलेक्टर्स" के सचिव हैं। उनके पास सभी प्रारूप के 20,000 से अधिक ग्रामोफोन रेकॉर्ड्स, 5000 ऑडियो कैसेट्स और सी.डी. हैं। उनके संग्रह में सभी विधाओ का संगीत हैं। उन्होने ध्वनिमुद्रणों को डिजिटाइज़ करने के लिये ब्रिटिश लाइब्रेरी के साथ मिलकर EAP प्रोग्राम के तहत दो परियोजना "EAP 190 on Young India" और "EAP 468 on Odeon label 78 rpm disks" सफलता पूर्वक आयोजित की। सन 2012 में वयनिवृत्ति के बाद, वह भारत और विदेश में अभिलेखागार और दस्तावेजीकरण के विषय में IASA/ARSC और GHT सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं। उन्होने ग्रामोफोन पर 200 से अधिक शोधलेख लिखे हैं। भारत में और विदेश में 100 से अधिक श्रवण सत्रो में व्याख्यान दिया हैं। वह सन 1991 से शुरू किए "The Indian Record News"

के संपादक हैं। उनके सभी मैगज़ीन सन 1991 से सन 2012 तक लिखित प्रारूप में पर उपलब्ध हैं। [1] उन्होने केरल राज्य में डिस्क और मशीन का एक म्यूजियम तैयार करने में सहायता की हैं और वह युवा ध्वनिमुद्रण संग्रहकारो को प्रोत्साहित और मार्गदर्शन देने में रस रूचि रखते हैं। उन्होने भारत के ग्रामोफोन कंपनी को डिस्क और संपर्क देकर पुराने संगीत को कैसेट्स और सी.डी. के माध्यम में पुनः प्रसारित करने में सहायता की हैं। उनका "Collecting the Collectors" वार्तालाप पर मौजूद हैं। [2]

- **श्री वी.ए.के.रंगाराव-** श्री वेंकट आनंदकुमार कृष्ण रंगाराव चेन्नई के निवासी हैं। वह भारतीय संगीत के विद्वान, नृत्यकार, फिल्म इतिहासकार, पुस्तक समीक्षक, कला समीक्षक और वक्ता हैं। वह अपने विशाल 78 rpm ध्वनिमुद्रण संग्रह के लिए विश्व में जाने जाते हैं। उनके पास 53,000 ध्वनिमुद्रित रेकॉर्ड्स के लिए "The Limca book of World Records" हैं।

*****

**1.** https://dsal.uchicago.edu/books/trn/
**2.** https://www.youtube.com/watch?v=EPlyalm6nPO